वार्षिक रिपोर्ट

2024-2025

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर–24, नौएडा – 201 301 (उ.प्र.)

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय–सूची

- संस्थान का विज़न और मिशन 1
- संस्थान का अधिदेश 3
- संस्थान की संरचना 4
- प्रमुख उपलब्धियाँ 7
- अनुसंधान 17
  - रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 18
  - सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 21
  - व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र 25
  - कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र 28
  - लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 31
  - पूर्वोत्तर भारत केंद्र 42
  - श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 46
  - एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 50
  - राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 52
  - जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र 55
  - अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 58
- प्रशिक्षण और शिक्षा 60
- प्रकाशन 74
- एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र 77
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 78
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन 80
- संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन 81
- स्टाफ सदस्यों की संख्या 82
- संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची 83
- कर्मचारियों की सूची (समूह ख एवं ग) 84
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 2024–2025 85

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना हैः—

- *कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना*
- *श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा हितधारकों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार—प्रसार करना*
- *वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और*
- *ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।*

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैः–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष हैं। महापरिषद संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख भी हैं; लेखा अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद का गठन

1.	डॉ. मनसुख मांडविया माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	अध्यक्ष
2.	सुश्री शोभा करांदलाजे माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	उपाध्यक्ष

केंद्र सरकार के छह प्रतिनिधि

3.	सुश्रीमती सुमिता डावरा, आईएएस सचिव (श्रम एवं रोजगार) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	उपाध्यक्ष
4.	अपर सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य
5.	सुश्री जी. मधुमिता दास, आईपीओएस संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य
6.	श्री अजय शर्मा, आईएएस संयुक्त सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य

7.	श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस सचिव माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001	सदस्य
8.	श्री के. एस. रेजिमोन, आईएएस संयुक्त सचिव (श्रम एवं कौशल कार्यक्षेत्र) कमरा संख्या 225 नीति आयोग नई दिल्ली–110001	सदस्य

दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

9.	श्री सतीश कुमार गौतम माननीय सांसद (लोक सभा) 4, विंडसर पैलेस, अशोका रोड़ नई दिल्ली–110001	सदस्य
10.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा माननीय सांसद (राज्य सभा) 157, साउथ एवेन्यु नई दिल्ली–110001	सदस्य

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

11.	श्रीमती नीलिमा चिमोटे अखिल भारतीय सचिव भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), ए–403, विराल अपार्टमेंट्स, नाना शकरसेत रोड़ विषुन नगर, डोंबिवली (पश्चिम) – 421202 महाराष्ट्र	सदस्य
12.	श्रीमती अमरजीत कौर महासचिव अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) एआईटीयूसी भवन, 35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002	सदस्य

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

13.	सुश्री परीशा सिंह उप निदेशक अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग नई दिल्ली – 110001	सदस्य

14. श्री मुकेश कुमार जैन — सदस्य
प्रमुख, कार्पोरेट मामले
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
अखिल भारतीय निर्माता संगठन
दिल्ली राज्य बोर्ड, दिल्ली

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है

15. श्री सी. के. साजीनारायणन — सदस्य
भूतपूर्व अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ
48/6, लिंक रोड़, अयानथोल
त्रिसुर, केरल

16. प्रो. सुनील माहेश्वरी — सदस्य
भारतीय प्रबंध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद – 380015 (गुजरात)

17. श्री उदय कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) — सदस्य
भूतपूर्व सचिव (आई एंड बी) एवं
सदस्य–केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/दिल्ली शाखा
डी–603, प्रतीक स्टाइलोम
सैक्टर–45, नौएडा – 201301
जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

18. डॉ. अरूप मित्रा — सदस्य
प्रोफेसर
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी
अकबर भवन, सत्य मार्ग
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021

प्रमुख अनुसंधान संस्थान

19. श्री प्रवीण के. सोलंकी, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक
महात्मा गांधी श्रम संस्थान
ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास
मेम नगर, अहमदाबाद – 380054 (गुजरात)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रतिनिधि

20. डॉ. अरविंद — सदस्य–सचिव
महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

प्रमुख उपलब्धियाँ

- ✓ **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं परामर्श कार्य करने वाला एक अग्रणी संस्थान है।** 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा है।
- ✓ **सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना:** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने **151** ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें देश भर से श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले **3586** प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। संस्थान ने **19** वेबिनार/कार्यशालाओं/अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया जिनमें **688** प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ✓ **नीति–निर्माण के लिए ज्ञान का आधार:** संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 19 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन/पेपर पूरे किए, जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- ✓ **विशेषज्ञ समूह सेवाएँ:** संस्थान समय–समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों जैसे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आदि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मार्फत आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहा है जो नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मकार संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।
- ✓ **असंगठित कामगारों को सशक्त बनाना:** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर **70** क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें **1727** प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह प्रदर्शित करना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।
- ✓ **पूर्वोत्तर क्षेत्र के सरोकारों के समाधान के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण:** संस्थान ने **10** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के **215** कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है।
- ✓ **श्रम के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का हब (केंद्र):** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी आर्थिक और सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण

संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। वर्ष 2024–25 के दौरान आईटीईसी के तहत 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 29 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- ✓ **श्रम मुद्दों से संबंधित सूचना एवं विश्लेषण का प्रसार** : संस्थान पाँच आंतरिक प्रकाशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट* (छमाही पत्रिका), *अवार्ड्स डाइजेस्ट* (तिमाही पत्रिका), *श्रम विधान* (तिमाही हिंदी पत्रिका), *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष* (तिमाही पत्रिका) तथा *श्रम संगम* (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इनके अलावा, संस्थान समय–समय पर अन्य प्रकाशन जैसे 'वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला' जिसमें कुछ मामला अध्ययनों/हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने वर्ष 2024–25 के दौरान 32 प्रकाशन प्रकाशित किये।
- ✓ **व्यावसायिक भागीदारी करना एवं उसे सुदृढ़ बनानाः** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यावसायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा।

अंतर्राष्ट्रीय

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन, इटली ने 2018–2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।
- नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग, नीति निर्माण पर अनुकरण आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण आदि से संबंधित सुझावों को शामिल करने तथा भारत से अन्य विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के बाद समझौता ज्ञापन के नवीकरण के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।
- इस दौरान वीवीजीएनएलआई ने आईएलओ, जिनेवा और आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के सहयोग से 07–11 अप्रैल 2025 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में उत्कृष्ट श्रम हेतु साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- ▪ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा **ब्रिक्स** देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य की दुनिया से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना है। संस्थान ने निम्नलिखित एक अनुसंधान अध्ययन पूरा किया:

  'प्लेटफॉर्म रोजगारः श्रम बाज़ार में भूमिका और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के श्रम विनियमन की समस्याएँ' (2024)

राष्ट्रीय

संस्थान ने श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रशिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रसिद्ध संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया:

(i) भारतीय नौ सेना – 29.04.2024

(ii) बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा – 16.12.2024

✓ **नीतिगत मुद्दों पर गहन बहस करने एवं प्रमुख पहलों के प्रसार हेतु मंचः** समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 16 मई 2024 को *विज़न@2047: 'श्रम सुधारों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। श्रम सुधारों में निर्बाध बदलाव की दिशा में काम करते हुए विकसित भारत@2047 के विज़न को साकार करने के अनुरूप, कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों और हितधारकों के क्षमता निर्माण सहित प्रमुख पूर्वापेक्षाओं के संदर्भ में मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियों की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करना और आगे की राह पर चर्चा करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती सुमिता डावरा, सचिव (श्रम और रोजगार), भारत सरकार ने की। इसमें ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम कल्याण महानिदेशालय, श्रम ब्यूरो, कार्यालय मुख्य श्रम आयुक्त, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, वीवीजीएनएलआई, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड और खान सुरक्षा महानिदेशालय के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- *'आंतरिक प्रवासन और अनुसंधान'* पर 01 अगस्त 2024 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस नीतिगत कार्यशाला की योजना एक ऐसे मंच के रूप में बनाई गई थी जिसमें अनुसंधान अध्ययनों पर चर्चा की जाएगी, प्रवासी–समावेशी बुनियादी ढांचे और संस्थानों को सुविधा मिलेगी। इससे विभिन्न राज्यों के बीच मौजूदा तंत्र में कनेक्टिविटी सक्षम होगी, प्रवासी श्रमिकों के श्रम अधिकारों की रक्षा होगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यशाला में शिक्षाविदों, शोधार्थियों और सरकारी अधिकारियों समेत 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के सहयोग से 20 सितंबर 2024 को *'प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017: प्रावधान, नीतियां और प्रथाएं'* पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और आगे की राह के सुझाव दिये गए। कार्यक्रम में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अधिनियम के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया, साथ ही चल रहे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए बेहतर जागरूकता और लक्षित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। डॉ. राजन वर्मा, डॉ. रोहित मणि तिवारी, श्री मनोज कुमार शर्मा, डॉ. एलीना सामंतराय, डॉ. अनादि एन. सिन्हा, सुश्री पूजा रामचंदानी और श्री बासुदेव मुखर्जी ने वेबिनार में व्याख्यान दिए। वेबिनार में 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का समन्वय श्री संतोष पाराशर, निदेशक, एसोचैम और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने संयुक्त रूप से किया।

- *'परिवर्तन प्रबंधन: लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य–जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली'* विषय पर एक कार्यशाला 04 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लचीली कार्य व्यवस्थाओं से संबंधित नीतियाँ बनाने हेतु नवीन रणनीतियों पर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण को समझना और उन पर चर्चा करना था। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने

स्वागत भाषण दिया। श्री सिद्धार्थ प्रकाश, वरिष्ठ संकाय, आर्ट ऑफ लिविंग ने उद्घाटन भाषण दिया। सत्र की शुरुआत सुश्री मोनिका गोयल (उपाध्यक्ष, मानव संसाधन, विनकुलम ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड), (एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय) के व्याख्यान से हुई और उसके बाद श्री जी.एस. विजय कुमार (महाप्रबंधक – वित्त प्रमुख, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड), सुश्री वैशाली बरुआ (राष्ट्रीय सलाहकार – केयर इकोनॉमी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण (डब्ल्यूईई), यूएन वीमेन), डॉ. अलका राय (सहायक प्रोफेसर, एनटीपीसी बिजनेस स्कूल, नौएडा) और श्री डी.वी. शास्त्री (कार्यकारी निदेशक, प्राकृतिक गैस सोसाइटी, नोएडा) के व्याख्यान हुए। कार्यशाला में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 25 फरवरी 2025 को *'विज़न 2047: विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप'* पर एक आधे–दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों, जैसे गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था, के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और कार्यबल को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना था। इसमें भारत के कार्यबल की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विविध हितधारकों को शामिल करके, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करके और सहयोग को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी कार्रवाई को उत्प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कार्यशाला में श्रम विषय पर विशेष रूप से विभिन्न नियोक्ता संगठनों/उद्योगों से कार्य के भविष्य पर काम कर रहे 42 विशेषज्ञों, मंत्रालय, आईएलओ, ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- संस्थान ने श्रम अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (सीएलएसआर), स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 27–28 फरवरी 2025 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा में *'श्रमिक एवं औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास'* विषय पर दो–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए श्रम नियमों और औद्योगिक संबंधों की बदलती गतिशीलता की जाँच करना था। इस सम्मेलन में प्रमुख विद्वानों, विधि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने श्रम कानून में हालिया विकास, कार्यबल पर वैश्वीकरण और डिजिटल परिवर्तन के प्रभावों, तथा श्रमिकों के अधिकारों, रोजगार मानकों और नियामक ढाँचों से संबंधित उभरते मुद्दों का विश्लेषण किया। सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी, आर्थिक और

सामाजिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर्विषयक चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना था, जिससे समकालीन श्रम और औद्योगिक कानून पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुलश्रेष्ठ, डीन, स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने श्रम और औद्योगिक कानूनों के उभरते परिदृश्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत सरकार के पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त डॉ. ओंकार शर्मा मुख्य अतिथि थे और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई विशिष्ट अतिथि थीं। देश–विदेश के विद्वानों ने कई शोधपत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन का संचालन सुश्री नूपुर कुमारी, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एवं डॉ. प्रियंका चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- संस्थान ने शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, छात्रों, किसानों, उद्यमियों और नीति विशेषज्ञों जैसे विभिन्न समूहों के लिए 05 मार्च 2025 को *'समावेशी सतत विकास के लिए गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान'* पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन भाषण डॉ. प्रेम वशिष्ठ, पूर्व निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया। सत्रों को डॉ. अंकिता गोयल, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली; प्रो. मिनाकेतन बेहरा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; श्री संदीप कुमार चौरसिया, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और डॉ. प्रतिभा राय, एसोसिएट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने संचालित किया। कार्यशाला में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 07 मार्च 2025 को *'महिलाएं, कार्य और कविता'* विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित करते हुए संकाय और कार्यशाला समन्वयक श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने महिलाओं की कार्य क्षमता, दुविधाओं, दृढ़ता, काव्य रचनाओं में परिलक्षित आकांक्षात्मक मुद्दों, लिंग संवेदीकरण में काव्य तत्वों की भूमिका, सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण आदि पर प्रकाश डाला। मुख्य भाषण प्रोफेसर सविता सिंह, लैंगिक और विकास अध्ययन स्कूल, इग्नू ने दिया जिन्होंने महिलाओं के काम और कविता पर बात की। उन्होंने कविता की सामान्य समझ से अलग महिलाओं की कविता को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से यह कि वह स्वयं की व्यक्तिपरक समझ से दुनिया में कैसे आती है। पत्रकार सुश्री सोनल दहिया

ने एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने कविताओं का उल्लेख करते हुए आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बनने और बेहतर कार्य करने पर ज़ोर दिया। कार्यक्रम में डॉ. सविता सिंह, श्रीमती निधि अग्रवाल, सुश्री सोनाली दहिया, सुश्री आरती, सुश्री शिवानी, सुश्री कविता, श्री बी. एस. रावत, श्री राजेश कर्ण और श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने कविता पाठ भी किया। श्री नागेश नितला, कार्यक्रम अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

- 18 मार्च 2025 को वीवीजीएनएलआई, सैक्टर 24, नौएडा में *'स्वचालन और कार्य का भविष्यः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल'* विषय पर एक–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत में रोजगार पर ए.आई. के प्रभाव का विश्लेषण करके ज्ञान के अंतर को पाटना, यह आकलन करना था कि किन नौकरियों को स्वचालन से खतरा है और कार्यबल अनुकूलन के लिए कौशल सेट चुनौतियों की पहचान करना था। इसका उद्देश्य भविष्य में क्षेत्रीय बदलावों, नौकरी के ध्रुवीकरण, कौशल आवश्यकताओं, नौकरी विस्थापन और उभरते अवसरों पर स्वचालन के प्रभाव पर चर्चा करना भी था। कार्यशाला में सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए अन्य देशों के अनुभवों की जाँच की गई जो भारत को अपने कार्य के भविष्य को टिकाऊ और समावेशी तरीके से सुरक्षित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के स्वागत भाषण से हुई। उद्घाटन सत्र को श्री गेब्रियल एच. बोरदादो, कौशल एवं रोजगार विशेषज्ञ, डीडब्ल्यूटी (दक्षिण एशिया), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), नई दिल्ली, और डॉ. राधा आश्रित, संयुक्त सचिव एवं उप महानिदेशक, डीएमईओ, नीति आयोग, भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण विशेष संबोधनों से समृद्ध किया गया। कार्यक्रम में कार्य के भविष्य पर कार्यरत 41 विशेषज्ञों, नियोक्ता संगठनों/उद्योगों, मंत्रालयों के अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यूनियनों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- *श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य'* विषय पर संस्थान परिसर में 21 मार्च 2025 को एक अर्ध–दिवसीय विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विचार–मंथन कार्यशाला का उद्देश्य इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ उन गतिविधियों पर चर्चा करना था जिनकी योजना वीवीजीएनएलआई में गठित नए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने, चोटों एवं बीमारियों को कम करने तथा कर्मचारियों एवं समाज के समग्र कल्याण में सुधार के लिए बनाई जा सकती है। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस चर्चा में भाग लिया। श्री पी. के. गोस्वामी, उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार; डॉ. फ्लोरेंस अल्मेडा,

निदेशक, लॉडमेडिक्स व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, दिल्ली; डॉ. समिक चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली; श्री सिद्धार्थ रैना, वरिष्ठ प्रबंधक, सेफ इन इंडिया फाउंडेशन; प्रो. एन. नक्कीरन, डीन, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली; और डॉ. अर्कप्रभु साव, उप निदेशक (चिकित्सा), क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर ने ओएसएच के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के साथ–साथ क्षमता निर्माण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

संस्थान के संकाय सदस्यों डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने भी केंद्र द्वारा शुरू किए जा सकने वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण पहलों के संदर्भ में बहुत प्रभावी योगदान दिया। कार्यशाला में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के 10 संकाय सदस्यों; डीजीफासली, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, दिल्ली सरकार के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो ने किया।

विशेष आयोजन

- भारतीय नौसेना और वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 29 अप्रैल 2024 को संस्थान में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन रक्षा और श्रम क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, जो कार्यबल विकास और क्षमता निर्माण में सहक्रियात्मक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के अधिकारियों और वीवीजीएनएलआई के संकाय और अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री अमन राजपूत, आईएनएमएमएस/आईईएस, संयुक्त निदेशक, एसएन एसओ (प्रशिक्षण), एनएचक्यू/डीसीपी, भारतीय नौसेना ने किया।
- संस्थान ने 21 जून 2024 को '10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया। इसमें 100 अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। संस्थान के संकाय सदस्य श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने स्वागत भाषण में योग दिवस समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला।
- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने बेनेट विश्वविद्यालय के साथ 16 दिसंबर 2024 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा (द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप) में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई से डॉ. अरविंद, महानिदेशक; डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने भाग लिया। प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुलश्रेष्ठ, डीन, स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया। समझौता ज्ञापन पर डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और प्रो. (डॉ.) अजित अब्राहम, कुलपति, बेनेट विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में श्री सेंथिल कुमार, मुख्य परिचालन अधिकारी, बेनेट विश्वविद्यालय उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो

वीवीजीएनएलआई और डॉ. प्रियंका चटर्जी, सहायक प्रोफेसर, बेनेट विश्वविद्यालय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सुश्री नूपुर कुमारी, सहायक प्रोफेसर, बेनेट विश्वविद्यालय ने दिया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) की कार्यपरिषद की 93वीं बैठक सुश्री सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में 13 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्रीमती नीलिमा चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस (ऑनलाइन); श्री मुकेश कुमार जैन, नियोक्ता प्रतिनिधि; प्रो. सुनील माहेश्वरी, प्रख्यात व्यक्ति, आईआईएम, अहमदाबाद (ऑनलाइन); सुश्री परीशा सिंह, उप निदेशक, एआईओई ने बैठक में भाग लिया। बैठक का समन्वय कार्यपरिषद के सदस्य सचिव डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया।
- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) की कार्यपरिषद की 94वीं बैठक सुश्री सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में 20 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सुश्री जी. मधुमिता दास, आईपीओएस, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री अजय शर्मा, आईएएस, महानिदेशक (रोजगार)/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती नीलिमा चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस (ऑनलाइन); श्री मुकेश कुमार जैन, नियोक्ता प्रतिनिधि (ऑनलाइन); और सुश्री परीशा सिंह, उप निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन ने भाग लिया। बैठक का समन्वय कार्यपरिषद के सदस्य सचिव डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया।

सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) कार्यपरिषद के सदस्यों को संबोधित करती हुई

- **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली:** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे संपन्न पुस्तकालयों में से एक है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,691 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 108 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान को राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है और यह डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क), नई दिल्ली का संस्थागत सदस्य बन गया है।
- आधुनिक भारत के निर्माण में श्रम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष संग्रह के रूप में काम करने के लिए श्रम पर एक डिजिटल अभिलेखागार स्थापित किया है। इसमें श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) पर डिजिटल रूप में श्रम इतिहास पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लगभग **190000 पृष्ठ** अपलोड किए गए हैं।
- **संस्थान क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।**

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल के हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है:

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धांतिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत अनुक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
2. सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
3. व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य केंद्र
4. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
5. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
6. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
7. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
8. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
9. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
10. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र
11. अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

रोजगार संबंधों का विनियमन लंबे समय से श्रम अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्र रहा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में रोजगार संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और इसके महत्व को समझते हुए संस्थान ने 2001 में रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र (सीईआरआर) की स्थापना की। इस केंद्र की स्थापना रोजगार संबंधों के उभरते परिदृश्य और संबंधित नियामक चुनौतियों पर केंद्रित अनुसंधान करने के लिए की गई थी।

सीईआरआर का उद्देश्य इन परिवर्तनों की समझ को बढ़ाना है ताकि उपयुक्त कानूनी ढाँचे और सामाजिक सुरक्षा उपायों के विकास में सहायता मिल सके। केंद्र का अनुसंधान मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- बदलते सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में ट्रेड यूनियनों की भूमिका
- अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में रोज़गार संबंधों में उभरते रुझान
- इन क्षेत्रों में रोज़गार को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढाँचे में कमियाँ और सीमाएँ
- उभरते न्यायिक रुझान और न्यूनतम मज़दूरी का विनियमन

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

श्रम संहिताओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण

उद्देश्य

- विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा विभिन्न श्रम संहिताओं के अंतर्गत तैयार किए गए मसौदा नियमों में समानताओं और अंतरों की पहचान करना।
- नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों की संहिता–वार शक्तियों का चित्रण करना।
- केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए मसौदा नियमों का तुलनात्मक संहिता–वार विश्लेषण करना, जिसमें प्रत्येक संहिता द्वारा कवर किए गए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- उन पहलुओं का विश्लेषण करना जो विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- केंद्रीय नियमों की तुलना में राज्य के नियमों में विचलन की पहचान और आकलन करना, तथा ऐसे बदलावों के पीछे के तर्क की जाँच करना।
- श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नियमों में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करना।

अध्ययन का दायरा

- विभिन्न श्रम संहिताओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों का केंद्रीय नियमों और संबंधित सरकार के साझा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नियमों के संबंध में विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण।
- विशेष रूप से राज्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित नियमों की अंतर–राज्यीय तुलना।

- इस अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख औद्योगिक राज्यों: असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मसौदा नियमों की समीक्षा शामिल थी।
- यह विश्लेषण 30 जून 2024 तक अधिसूचित नियमों पर आधारित था।

कार्यप्रणाली

- अध्ययन में राज्यों और केंद्र के नियमों की व्यापक समीक्षा और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया, इनमें राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र के नियम भी शामिल थे।
- श्रम मंत्रालय और राज्य श्रम विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्श और विस्तृत चर्चा भी अनुसंधान पद्धति का एक प्रमुख घटक थी।

परिणाम

अध्ययन में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रमुख श्रम संहिताओं के अंतर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा की गई और उनके दायरे, एकरूपता और कमियों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जहाँ अधिकांश नियम प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियात्मक और मूलभूत पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करते हैं, वहीं केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के साथ—साथ राज्यों के बीच भी भिन्नताएँ मौजूद हैं। कुछ राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे बेहतर एकरूपता के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। अध्ययन में संहिता—वार विश्लेषण और सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं:

मजूदरी संहिता, 2019

अधिकांश राज्य प्रति घंटा वेतन निर्धारण के लिए केंद्रीय नियम का पालन करते हैं, सिवाय उत्तर प्रदेश के, जहाँ दैनिक वेतन को आठ घंटों के बजाय छह घंटों में विभाजित किया जाता है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में आम तौर पर साल में दो बार संशोधन किया जाता है, लेकिन कर्नाटक में केवल वार्षिक संशोधन का प्रावधान है और असम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कार्य—समय के विस्तार के नियम अलग—अलग हैं, केवल महाराष्ट्र ही पाँच—दिवसीय और छह—दिवसीय कार्य—सप्ताह के लिए केंद्रीय नियम के अनुरूप है; अन्य राज्यों को इस अंतर को दूर करने की आवश्यकता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

मान्यता के लिए आवश्यक ट्रेड यूनियन सदस्यता में व्यापक अंतर (20—51 प्रतिशत) है। केंद्रीय नियम और कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में यह 30 प्रतिशत है। जिन राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं हैं, उन्हें एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें लागू करना चाहिए। यूनियनों/परिषदों के लिए बातचीत की सुविधाएँ असंगत हैं – गुजरात में इसे आपसी सहमति पर छोड़ दिया गया है और केरल में यह है ही नहीं – जिसके लिए अनिवार्य समावेशन की आवश्यकता है। अपराधों के लिए उत्तर प्रदेश के संयोजन नियमों पर भी संहिता के अनुरूप पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020

वार्षिक स्वास्थ्य जाँच के नियम अलग—अलग हैं, ज्यादातर राज्य 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करते हैं जबकि केंद्रीय नियमों के तहत यह 40 वर्ष है। महाराष्ट्र में दुर्घटना सूचना संबंधी प्रावधानों का अभाव है, जबकि कई राज्यों में महिला श्रमिकों के लिए आपातकालीन टेलीफ़ोन नंबरों के नियम का पालन नहीं किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ठेकेदार लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण के प्रावधानों का भी अभाव है, जो केंद्रीय नियमों के तहत मौजूद हैं। अंतर—राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए यात्रा भत्ते के नियम अलग—अलग हैं: हरियाणा

60 दिनों की सेवा के बाद लाभ प्रदान करता है, और उत्तर प्रदेश सेवा समाप्ति या बीमारी के मामलों में वापसी का किराया प्रदान करता है —ये कुछ ऐसी अच्छी प्रथाएँ हैं जिन्हें अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

केंद्रीय नियमों के तहत, मातृत्व लाभ से संबंधित शिकायतों का समाधान 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक और उत्तर प्रदेश कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करते हैं, और केरल में तत्संबंधी प्रावधान का अभाव है। उपकर का भुगतान देर से करने के लिए केंद्रीय नियमों के तहत विलंबित दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये प्रावधान नहीं हैं, इसलिए इन्हें तत्काल शामिल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यद्यपि श्रम संहिताओं ने श्रम कानूनों को सरल और समेकित किया है, फिर भी राज्यों के नियमों में भिन्नताएँ विसंगतियाँ पैदा करती हैं। राज्यों को अपने प्रावधानों को केंद्रीय नियमों के अनुरूप बनाने, एक—दूसरे की अच्छी प्रथाओं को अपनाने और प्रभावी, एकसमान कार्यान्वयन के लिए अनछुए पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को मार्च 2024 में शुरु, एवं सितम्बर 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

कार्यशाला

- **'श्रमिक मुद्दे, श्रम कानून और श्रम संहिताएं' पर अभिमुखीकरण कार्यशाला,** भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए

संस्थान ने 09 अगस्त 2024 को नौएडा स्थित अपने परिसर में भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 'श्रमिक मुद्दे, श्रम कानून और श्रम संहिताएं' पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को श्रमिक मुद्दों, श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के संबंध में समझ और अभिमुखीकरण प्रदान करना था। इस कार्यशाला में रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय डाक सेवा के नौ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वयन डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया।

सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

विशेष रूप से विकासशील देशों में कार्य के अनौपचारिकरण में वृद्धि के कारण एक ओर तो कार्य के अनिश्चित और असुरक्षित स्वरूप सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर औपचारिक कार्यस्थलों के लिए डिज़ाइन की गई सुरक्षा प्रणालियाँ अक्सर अनौपचारिक श्रमिकों के लिए अप्राप्य होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी सुरक्षा जाल के बढ़ते सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम एक बढ़ती हुई चिंता है।

भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, लाभों के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण के संदर्भ में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण के प्रमुख मुद्दों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के सामने उभरती सामाजिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सामाजिक संरक्षण कमजोरियों को समझना, विशेष रूप से श्रम बाजार परिवर्तनों और रोजगार के नए एवं अनिश्चित रूपों से जुड़े उभरते जोखिमों के संदर्भ में;
- सामाजिक संरक्षण नीतियों को समझना जो सभी के लिए मानव अधिकारों को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे मानव पूंजी और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है;
- विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के संदर्भ में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियों को समझना;
- श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिशानिर्देशों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दस्तावेजों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना;
- स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों सहित सामाजिक सुरक्षा पर समावेशी प्रथाओं को विकसित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर रुझानों, हालिया नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करना।

जारी अनुसंधान परियोजना

मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक समुदाय में मौलिक सिद्धांत और अधिकार (एफपीआरडब्ल्यु) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षकों के लिए एफपीआरडब्ल्यु पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) मध्य प्रदेश राज्य में 'कपास आपूर्ति श्रृंखला में कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों (एफपीआरडब्ल्यु) को बढ़ावा देना – प्रभाव के लिए खड़े होना' परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिलों में कपास उत्पादक समुदाय के बीच एफपीआरडब्ल्यु के पाँच सिद्धांतों[1] को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

1 कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, जिसे 1998 में अपनाया गया और 2022 में संशोधित किया गया, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों द्वारा बुनियादी मानवीय मूल्यों – हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों – को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता में निहित दायित्वों और प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है, अर्थात 1. संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता; 2. सभी प्रकार के जबरन या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन; 3. बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन; 4. रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन; और 5. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण।

(क) यह सुनिश्चित करना कि कपास उत्पादक समुदाय एफपीआरडब्ल्यू के प्रति बेहतर जागरूक और सशक्त हों;

(ख) जिम्मेदार संस्थान/घटक और हितधारक एफपीआरडब्ल्यू सुनिश्चित करने में सक्षम हों; और

(ग) हितधारकों के पास एफपीआरडब्ल्यू को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और उपकरणों तक बेहतर पहुँच हो।

सभ्य कार्य की कमी को दूर करने के लिए, परियोजना विभिन्न स्तरों (खेत से लेकर नीति निर्माताओं तक) पर कपास उत्पादक समुदाय और अन्य हितधारकों के लिए एफपीआरडब्ल्यू के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक मॉड्यूल तैयार करके किया जाएगा जो किसान विस्तार और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थानों/एजेंसियों को न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने, असमानता को कम करने और सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एफपीआरडब्ल्यू को अपने ज्ञान उत्पाद के हिस्से के रूप में एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना का प्रारंभिक कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया, और नवम्बर 2025 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो)

कार्यशालाएं

- **आंतरिक प्रवासन एवं अनुसंधान पर कार्यशाला**

संस्थान ने 01 अगस्त 2024 को संस्थान परिसर में *'आंतरिक प्रवासन एवं अनुसंधान'* पर एक एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इग्नू, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले संस्थान (आईडब्ल्युडब्ल्युएजीई), एशिया में सहभागी अनुसंधान (प्रिया), शिक्षा एवं संचार केंद्र (सीईसी), भारतीय सामाजिक संस्थान (आईएसआई) के प्रवासन अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कई अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया, जिनमें श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, केंद्रीय श्रम सेवा, ईएसआईसी, ईपीएफओ, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी और पीएफआरडीए के अधिकारी शामिल थे।

"आंतरिक प्रवासियों के समावेशन के लिए नीतिगत ढांचे" पर कार्यशाला का मुख्य भाषण श्री डिनो बर्थोल्डस विली कोरेल, श्रम प्रवासन विशेषज्ञ, दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डिसेंट वर्क और भारत के लिए कंट्री ऑफिस द्वारा दिया गया और विशेष भाषण डॉ. चिन्मय तुम्बे, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा "भारत आगे बढ़ रहा हैः प्रवासन इतिहास और रहस्य" पर दिया गया।

कार्यशाला में तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। 'प्रवासन और आजीविका' विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र 1 की अध्यक्षता श्री डिनो बर्थोल्डस विली कोरेल, श्रम प्रवासन विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डिसेंट वर्क और भारत के लिए कंट्री ऑफिस ने की। इस पैनल में दी गई प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

1. "पुरुषों द्वारा चयनित प्रवासन के परिणाम – पश्चिम बंगाल का मामला" – डॉ. भास्वती दास, एसोसिएट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. "आजीविका संकट और ग्रामीण झारखंड से संकटपूर्ण बाह्य पलायन" – डॉ. कुणाल केशरी, सहायक प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुंबई
3. "निर्माण श्रमिक – आजीविका और संरक्षण के मुद्दे" – डॉ. अजीत झा, सहायक प्रोफेसर, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, दिल्ली।

'प्रवासनः क्षेत्रीय साक्ष्यों पर आधारित परिभाषा और आंकड़ों पर चर्चा' विषय पर तकनीकी सत्र II की अध्यक्षता प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, विजिटिंग प्रोफेसर, मानव विकास संस्थान, पूर्व प्रोफेसर और डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने की। इस सत्र के तीन पैनलिस्टों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

1. "महिला प्रवासी श्रमिक – संबद्ध पारिवारिक श्रमिक" – डॉ. सुनेत्रा घटक, एसोसिएट प्रोफेसर, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
2. "प्रवासन पर हालिया आंकड़ों और सांख्यिकी पर चर्चा" – डॉ. पुनीत कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नीति आयोग
3. "अंतर–राज्यीय जनजातीय प्रवासन में आंकड़ों की कमी – जनगणना से साक्ष्य" – डॉ. अविजित मिस्त्री, सहायक प्रोफेसर, मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रवासन और सामाजिक सुरक्षा पर तकनीकी सत्र III की अध्यक्षता डॉ. भास्वती दास, एसोसिएट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने संयुक्त रूप से की। इस सत्र की प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

1. 'संकटपूर्ण श्रमिक प्रवासन और आजीविका योजना के बीच अंतर्संबंध – बिहार के पूर्णिया जिले का एक मामला अध्ययन' – श्री आलोक कुमार, शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
2. 'गरीबी, प्रवासन और आजीविका – ओडिशा के कालाहांडी का मामला' – सुश्री पुष्पांजलि कुमारी, शोधार्थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।

कार्यशाला में इस विषय पर कार्य करने वाले 38 शिक्षाविदों, शोधार्थियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – भविष्य निधि और नई पेंशन योजना पर कार्यशाला**

संस्थान द्वारा 08 अगस्त 2024 को 'सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – भविष्य निधि और नई पेंशन योजना' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों की समझ को मज़बूत करना था। कार्यशाला में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र

विश्व स्तर पर हर साल लगभग 2.93 मिलियन श्रमिक कार्य संबंधी कारणों से जान गंवाते हैं और 395 मिलियन श्रमिक गैर–घातक कार्य–चोट का शिकार होते हैं (आईएलओ, 2023)। अथाह मानवीय पीड़ा के अलावा ये मौतें और अस्वस्थता उद्यमों और समग्र रूप से समाज के लिए बड़ी आर्थिक क्षति का कारण बनती हैं, जिसमें उत्पादकता में कमी और कार्य क्षमता में कमी शामिल है।

भारत में तेज़ी से औद्योगीकरण और शहरीकरण हो रहा है, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएसएच) संबंधी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। विनिर्माण, निर्माण, परिवहन और भंडारण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कार्य–संबंधी दुर्घटनाओं का स्तर सबसे अधिक है। कार्य–संबंधी चोटों के सबसे अधिक शिकार ये श्रमिक होते हैंः अनिश्चित रोज़गार (अस्थायी, आकस्मिक या अंशकालिक श्रमिक), अनौपचारिक रोज़गार में लगे श्रमिक, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में काम करते हैं, और भेदभाव एवं हाशिए पर डाले गए समूहों (जैसे प्रवासी श्रमिक, युवा श्रमिक और नस्लीय एवं जातीय अल्पसंख्यक) के श्रमिक।

श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित कई कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति 2009 के साथ ओएसएच में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद उभरते जोखिमों से निपटने, निगरानी प्रणालियों को बेहतर बनाने और अनुसंधान, जागरूकता एवं कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए एक समर्पित शीर्ष संस्थान की तत्काल आवश्यकता है।

इन चुनौतियों का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए, वीवीजीएनएलआई की कार्यपरिषद के निर्देशों के अनुसार, निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के अधिकारियों, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के लिए व्यवसाय–विशिष्ट मॉड्यूल विकसित करने हेतु वीवीजीएनएलआई में एक **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य केंद्र (सीओएसएच)** की स्थापना की गई है।

विज़न

नवीन अनुसंधान, क्षमता निर्माण और साक्ष्य–आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से श्रमिकों को कार्य–संबंधी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मिशन

- एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रयास करना।
- सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साधन प्रदान करके सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य सहित सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।
- निवारक और प्रोत्साहनकारी ओएसएच जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसार करना।
- ओएसएच के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- वर्तमान, नए एवं उभरते जोखिमों और श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पर साक्ष्य–आधारित और ज्ञान के माध्यम से नीति निर्माण और अनुसंधान का समर्थन करना।

प्रमुख अधिदेश

अनुसंधान एवं विकास

- कार्यस्थलों पर वर्तमान, नए और उभरते जोखिमों की पहचान हेतु बहु–विषयक अनुसंधान करना।
- कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए नवीन उपकरण, प्रौद्योगिकियाँ और ढाँचे विकसित करना।
- राष्ट्रीय ओएसएच नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित करने के लिए नीतिगत संक्षिप्त विवरण, तकनीकी पत्र और दिशानिर्देश प्रकाशित करना।

क्षमता निर्माण और प्रसार

- ओएसएच पेशेवरों के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करना।
- श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ई–लर्निंग मॉड्यूल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना।
- डिजिटल और पारंपरिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं और मामला़ अध्ययनों का प्रसार करना।

सहयोगात्मक पहल

- ओएसएच अनुसंधान और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जगत, उद्योगों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करना।
- कार्यस्थल सुरक्षा के नवीन समाधानों के संचालन हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी को सुगम बनाना।
- सफल मॉडलों और प्रथाओं को देश भर में लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना।

प्रस्तावित हितधारक

केंद्र की सफलता विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी, जिनमें ये शामिल हैं:

- **सरकारी निकाय:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और संबंधित राज्य विभाग।
- **शैक्षणिक संस्थान:** सार्वजनिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखने वाले विश्वविद्यालय और अनुसंधान संगठन।
- **उद्योग:** निर्माण, खनन, विनिर्माण और रसायन जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधि।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) और अन्य वैश्विक ओएसएच संस्थाओं के साथ साझेदारी।
- **गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ):** श्रमिक अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा की वकालत करने वाले संगठन।
- **सामुदायिक समूह और ट्रेड यूनियनें:** श्रमिकों की जमीनी स्तर पर भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

अनुसंधान सलाहकार समूह

1. श्री वी.के. शर्मा, पूर्व निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच), दिल्ली
2. डॉ. अर्कप्रभा साव, उप निदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

3. श्री पी.के. गोस्वामी, उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच), दिल्ली

कार्यशाला

- **श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विचार–मंथन कार्यशाला**

'श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य' विषय पर संस्थान परिसर में 21 मार्च 2025 को एक अर्ध–दिवसीय विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विचार–मंथन कार्यशाला का उद्देश्य इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ उन गतिविधियों पर चर्चा करना था जिनकी योजना वीवीजीएनएलआई में गठित नए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने, चोटों एवं बीमारियों को कम करने तथा कर्मचारियों एवं समाज के समग्र कल्याण में सुधार के लिए बनाई जा सकती है। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस चर्चा में भाग लिया। संस्थान के संकाय सदस्यों डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने भी केंद्र द्वारा शुरू किए जा सकने वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण पहलों के संदर्भ में बहुत प्रभावी योगदान दिया। कार्यशाला में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के 10 संकाय सदस्यों; डीजीफासली, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, दिल्ली सरकार के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो ने किया।

डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरे विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में श्रम बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अकेले कृषि क्षेत्र को सभी ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रूप से समा लेने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी रोजगार पैदा करने में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था की विविधता के लिए योगदान महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तृत शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित साक्ष्य उपलब्ध हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजारों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन जटिलताओं का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की ओर देख रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके पैमाने और दायरे की कल्पना मानव जाति ने नहीं की होगी।

विशेष रूप से कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल कठिन कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है बल्कि सॉफ्ट कौशल को भी कार्य संस्कृति के अनुरूप समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सॉफ्ट कौशलों, व्यवहारिक और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों से व्यक्तियों और उस संगठन, जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और कार्यस्थल में संस्कृति में सुधार करने में भी में मदद मिलेगी। सॉफ्ट कौशलों में लोगों के कौशल, सामाजिक कौशल, विशेषता और व्यक्तिगत खासियतें, दृष्टिकोण, करियर विशेषताएँ, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धि शामिल हैं, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और कर्मचारियों; केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों; सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों; पंचायती राज संस्थानों; ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि के व्यवहार और व्यवहार संबंधी कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र विभिन्न संगठनों जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, आदि के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के साधन और तकनीक यथा मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधन खेल, अभ्यास, अनुभवात्मक साझाकरण आदि शामिल हैं।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती, मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में श्रमिकों की स्थिति और रोज़गार के स्वरूप के विशेष संदर्भ में

उद्देश्य

विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- गन्ना किसानों और किसानों की सामाजिक–आर्थिक और स्वास्थ्य स्थितियों का अध्ययन करना।
- कृषि स्तर पर गन्ना श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना।
- कृषि क्षेत्र में संभावित रोज़गार सृजन की जाँच करना।
- कृषि के कॉर्पोरेट मॉडल पर मामला अध्ययन् एकत्रित करना।
- किसानों की समस्याओं को समझने के लिए लागत–लाभ तंत्र का विश्लेषण करना।

कार्यप्रणाली

यह कार्यप्रणाली प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहाँ पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में पहले अध्ययन किए गए हैं। मुजफ्फरनगर जिला गन्ने का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण अनियमित नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया था। चूँकि यह अनुसंधान उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुजफ्फरनगर जिले में किया गया था, इसलिए गाँवों का चयन पूरी तरह से चालू चीनी मिलों से उनकी निकटता के आधार पर किया गया था। सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले में चीनी मिलों की पहचान की गई और फिर, निकटवर्ती और साथ ही मिलों से दूर स्थित गाँवों को अध्ययन के लिए चुना गया। गन्ने की खेती में शामिल किसानों से मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए एक अर्ध–संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके एक संरचित सर्वेक्षण किया गया। किसानों, स्थानीय हितधारकों और उद्योग प्रतिनिधियों के एक चयनित समूह के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार आयोजित किए गए।

परिणाम

- अध्ययन के निष्कर्ष गन्ना खेती के जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। उत्तरदाताओं में 99.04 प्रतिशत पुरुष शामिल थे, इससे लैंगिक वितरण में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। यह इस क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व को दर्शाता है, जबकि महिलाएँ, संख्या में कम होने के बावजूद, कृषि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 36.5 प्रतिशत महिलाएँ प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में शामिल हैं, जबकि 64.5 प्रतिशत महिलाएँ अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं।

- अधिकांश भूस्वामी, लगभग 60 प्रतिशत मध्यम भूमिधारक वर्ग में आते हैं, 23.9 प्रतिशत बड़े भूमिधारकों की श्रेणी में आते हैं, और केवल 10.35 प्रतिशत भूमिधारकों के पास कम भूमि है। 75.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए खेती प्राथमिक व्यवसाय बनी हुई है, जो कृषि पर उनकी उच्च्व निर्भरता को दर्शाता है।

- स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में अधिकांश उत्तरदाताओं ने अच्छे स्वास्थ्य और न्यूनतम पुरानी बीमारियों की सूचना दी। इसके अलावा, 79 प्रतिशत के पास चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि 21 प्रतिशत पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के अभाव में हैं। अध्ययन में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सिंचाई उपकरणों जैसी कृषि परिसंपत्तियों में निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि 99.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके पास ये संसाधन हैं।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जुलाई 2024 में शुरू, और फरवरी 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

कार्यशाला

- **समावेशी सतत विकास हेतु गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान पर कार्यशाला**

संस्थान ने 05 मार्च 2025 को शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, छात्रों, किसानों, उद्यमियों और नीति विशेषज्ञों जैसे विभिन्न समूहों के लिए समावेशी सतत विकास हेतु गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान पर एक एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने दिया। कार्यशाला का उद्घाटन भाषण डॉ. प्रेम वशिष्ठ, पूर्व निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया। सत्र का संचालन डॉ. अंकिता गोयल, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली; प्रो. मिनाकेतन बेहरा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; श्री संदीप कुमार चौरसिया, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और डॉ. प्रतिभा राय, एसोसिएट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया।

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं और यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल वाले प्रवासी कामगार होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम आय एवं कम उत्पादकता होती है। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सभी हितधारकों के द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। पारंपरिक श्रम आँकड़े वास्तविकता की आंशिक धारणा प्रदान करते हैं क्योंकि वे महिलाओं के काम को पर्याप्त रूप से चित्रित करने में असमर्थ हैं। श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और श्रम बाजारों की लैंगिक प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता है ताकि नीति निर्माताओं द्वारा निर्माण और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर लिंग संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाया जा सके। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने हेतु पूर्ण उत्पादक रोजगार, स्थिरता और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ होंगी। इस ढांचे के भीतर कार्य की दुनिया में लिंग से संबंधित विभिन्न आयामों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने, परामर्शी कार्य, प्रकाशन का कार्य आदि करने के लिए लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य लिंग और श्रम अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को सूचित करने के लिए अंतर्विधात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

1. तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों की भेद्यता का मानचित्रण और उनके लिए वैकल्पिक आजीविका की पहचान करना

इस अध्ययन का लक्ष्य बीड़ी श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रुचियों और जरूरतों के बारे में बेहतर समझ विकसित करना था। इस अध्ययन में तेलंगाना में उद्योग के असंगठित गृह–आधारित क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों की कामकाजी स्थिति को समझने का प्रयास किया गया और बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य भेद्यता और तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों पर इसके प्रभाव की जाँच की गई। अध्ययन में बीड़ी श्रमिकों की सुरक्षा

के लिए एक रूपरेखा विकसित करते हुए उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से मौजूदा नीतियों और कानून का विश्लेषण किया गया। अंत में अध्ययन में प्रमुख वैकल्पिक आजीविका मॉडल की पहचान करते हुए वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के प्रति उनकी इच्छा का पता लगाया गया।

उद्देश्य

- तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों का दस्तावेजीकरण करना और बीड़ी श्रमिकों की आजीविका पर उनके प्रभाव का आकलन करते हुए उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों की जांच करना।
- तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों से संबंधित विभिन्न विधायी प्रावधानों, योजनाओं और नीतियों के कवरेज का मानचित्रण एवं समीक्षा करना, और यह पता लगाना कि मौजूदा श्रम कानूनों से संबंधित चार संहिताओं के आगामी कार्यान्वयन से इनमें कैसे परिवर्तन होने की संभावना है?
- तम्बाकू उत्पादन और उपभोग में कमी लाने के लिए नीतिगत प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बीड़ी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही वैकल्पिक आजीविका की समीक्षा करना।
- मौजूदा ढाँचे के भीतर एक नीतिगत ढाँचे का सुझाव देना जो मौजूदा कमजोरियों को संबोधित कर सके, बीड़ी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ा सके, साथ ही वैकल्पिक आजीविका विकल्पों का समर्थन कर सके, विशेष रूप से उन संहिताओं के आलोक में जिन्हें वर्तमान में औपचारिक रूप दिया जा रहा है।

परिणाम

तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों पर किए गए अध्ययन से प्रमुख चुनौतियों का पता चला है जिनमें कम मजदूरी, खतरनाक कार्यदशाएँ, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। अधिकांश श्रमिक, विशेषकर महिलाएँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं और खराब क्रियान्वयन तथा कम जागरूकता के कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में बाधाओं का सामना करती हैं।

अध्ययन के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैंः

- भेद्यता मानचित्रणः बीड़ी मज़दूर गंभीर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कमज़ोरियों का सामना करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर अपनी बुनियादी घरेलू ज़रूरतें पूरी करने में भी असमर्थ हैं। तंबाकू के धुएं से होने वाली श्वसन समस्याओं सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ आम हैं।
- नीतिगत कमियाँः बीड़ी मज़दूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मौजूदगी के बावजूद, उनकी पहुँच और कवरेज सीमित है, खासकर स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में। अध्ययन में योजनाओं के प्रचार–प्रसार में कमियों को उजागर किया गया है और बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गयाा है।
- वैकल्पिक आजीविका प्राथमिकताएँः बीड़ी श्रमिक, विशेषकर महिलाएँ, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले व्यवसायों की तुलना में कम–कौशल वाले पारंपरिक व्यवसायों (जैसे पापड़ बनाना और अगरबत्ती बनाना) को प्राथमिकता देती हैं, जो क्षेत्र–विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- नीतिगत सिफारिशों में उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, भविष्य निधि और पेंशन लाभों को लागू करना, कार्य समय को विनियमित करके और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करके कार्यदशाओं में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, आवास और स्वच्छता पर ध्यान देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवैतनिक देखभाल कार्यों को कम करना, ताकि आय–उत्पादक गतिविधियों में उनकी बेहतर भागीदारी हो सके, जागरूकता अभियानों को बढ़ाना शामिल है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 09 सितम्बर 2023 को शुरू, और 08 अगस्त 2024 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

2 (क). लचीली कार्य समय नीति का डिजाइन तैयार करनाः एनसीआर–सरकारी क्षेत्र का एक मामला

उद्देश्य

- बेहतर जीवन संतुष्टि के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों और वैधानिक विश्राम अवधियों से संबंधित कार्य–समय कानूनों और विनियमों का अध्ययन करना।
- कोविड–19 संकट के दौरान कार्य समय और लचीलेपन से संबंधित अनुभवों का लाभ उठाना।
- महिला श्रमबल भागीदारी, कार्य–जीवन संतुलन और उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना।
- अवैतनिक देखभाल कार्यों में पुरुषों की भागीदारी के लिए प्रोत्साहनों की जाँच करना।
- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में मौजूदा चुनौतियों की पहचान करना और लचीली कार्य व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त ढाँचा विकसित करना।

कार्यप्रणाली

इस अनुसंधान की रूपरेखा अन्वेषणात्मक थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में समकालीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लचीलेपन की विभिन्न नीतियों और प्रथाओं का पता लगाना था। यह अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के तरीकों का उपयोग करते हुए एक मिश्रित कार्यप्रणाली ढाँचे पर आधारित था। यह सर्वेक्षण दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, मुख्यतः मध्य दिल्ली और पूर्वी दिल्ली (नौएडा सहित) में किया गया था, जो अपनी परिधि में कई सरकारी कार्यालय भवनों के लिए जाने जाते हैं। सर्वेक्षण की प्रश्नावली पद्धति को आँकड़ा संग्रह की प्राथमिक विधि के रूप में लिया गया था। साथ ही, उन लोगों के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार भी किए गए जो प्रश्नावली भरने के इच्छुक नहीं थे।

परिणाम

- अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि लैंगिक असमानता को कम करने और लैंगिक अंतर को पाटने की सख्त जरूरत है। प्रतिक्रियाओं से पता चला है कि घर से काम करने की नीतियों के बावजूद, महिला कर्मचारियों से ज्यादातर समय घर के कामों में ही व्यस्त रहने की उम्मीद की जाती है।
- इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कर्मचारियों को क्रेच सुविधा शायद ही उपलब्ध हो पाती है। जब किसी संगठन में कुल 50 से ज्यादा कर्मचारी हों, तो क्रेच सुविधा का होना और उसका उपयोग जारी रखना अनिवार्य है। हालाँकि, इन सुविधाओं की निगरानी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ठीक से नहीं की जा रही है।
- अध्ययन से यह भी पता चला है कि कार्य–जीवन संतुलन एक कर्मचारी और नियोक्ता के जीवन का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। कई बार नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा पूरे कार्य सप्ताह में एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने की क्षमता पर हावी हो जाती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की काम करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से झलकती है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2024 में शुरू, और फरवरी 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

2 (ख). लचीली कार्य समय नीति का डिजाइन तैयार करनाः एनसीआर–आईटी सैक्टर का एक मामला

उद्देश्य

- अधिकतम दैनिक कार्य घंटों और वैधानिक विश्राम अवधियों से संबंधित कार्य–समय कानूनों और विनियमों का अध्ययन करना।
- कोविड–19 संकट के दौरान कार्य समय और लचीलेपन से संबंधित अनुभवों का लाभ उठाना।
- भारतीय आईटी और आईटी–सक्षम सेवा सैक्टर में लचीली कार्य व्यवस्थाओं के मौजूदा प्रावधानों की जाँच करना।
- महिला श्रमबल भागीदारी, कार्य–जीवन संतुलन पर कार्य व्यवस्थाओं के प्रभाव को समझना।
- अवैतनिक देखभाल कार्यों में पुरुषों की भागीदारी के लिए प्रोत्साहनों की जाँच करना।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन मिश्रित कार्यप्रणाली के ढाँचे पर आधारित था जिसमें आँकड़ा संग्रह और विश्लेषण के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। सर्वेक्षण की प्रश्नावली पद्धति को आँकड़ा संग्रह की प्राथमिक विधि के रूप में लिया गया था। उन लोगों के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार किए गए जो प्रश्नावली भरने के इच्छुक नहीं थे। यह सर्वेक्षण दिल्ली–एनसीआर के गुरुग्राम और नौएडा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर किया गया, जो अपने आसपास कई आईटी कार्यालयों के लिए जाने जाते हैं।

परिणाम

- यह पाया गया कि कार्य–संबंधी संचार जैसे फ़ोन कॉल, टेक्स्ट संदेश, ईमेल आदि के माध्यम से कार्यसमय लोगों के गैर–कार्य कार्यक्रमों के साथ जुड गये। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वास्तविक कार्य घंटों से परे भी काम में व्यस्त पाया गया।
- अधिकांश लचीले कार्य समय वाली कंपनियों ने कार्य का एक हाइब्रिड मोड अपनाया है, जहाँ ऑन–साइट (कार्यस्थल) और रिमोट वर्किंग (दूरस्थ कार्य) व्यवस्था एक साथ मौजूद है, जो नियोक्ताओं के साथ–साथ कर्मचारियों को भी लचीले तरीके (फ्लेक्सी मोड) का लाभ उठाने की अनुमति देता है, साथ ही रिमोट वर्क के नुकसानों को भी सीमित करता है।
- वर्तमान अध्ययन में अविवाहित कर्मचारियों के बीच रिमोट वर्किंग व्यवस्था की प्रासंगिकता और पसंद पर भी प्रकाश डाला गया, जिन्होंने हाइब्रिड कार्य व्यवस्था में बेहतर शारीरिक और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के अनुभव बताए हैं, जो उन्हें कार्य–समय से समझौता किए बिना स्वास्थ्य देखभाल दिनचर्या, अवकाश गतिविधियों और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में सक्षम बनाता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2024 में शुरू, और फरवरी 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

3. भारत में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन

यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को समझने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करना तथा अधिनियम में निहित कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना भी था।

उद्देश्य

इस अध्ययन में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रवर्तन का मूल्यांकन किया गया ताकि इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और महिलाओं के रोज़गार पर इसके प्रभावों की पहचान की जा सके और उनका समाधान किया जा सके।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- संशोधन के बाद मातृत्व लाभ कानून के प्रावधानों को समझना।
- मातृत्व सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और अनुसमर्थन करने वाले देशों में प्रवर्तन प्रथाओं को समझना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत किए गए निरीक्षणों की संख्या का आकलन करना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत निरीक्षकों, ट्रेड यूनियनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या का आकलन करना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत दोषसिद्धि दर को समझना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत कारावास/जुर्माने की अवधि सहित कुल दंडों की संख्या का आकलन करना।

परिणाम

इस अध्ययन में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के महिलाओं के रोज़गार और पूरे भारत में इसके प्रवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। अध्ययन ने महिला श्रमबल भागीदारी को बढ़ावा देने में मातृत्व सुरक्षा की भूमिका को उजागर किया है। कुछ राज्यों और क्षेत्रों के सफल मॉडलों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें बेहतर प्रवर्तन रणनीतियों, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बेहतर अनुपालन की संभावना है। यह अध्ययन देश में लैंगिक रूप से संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को मज़बूत करने की दिशा में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य–आधारित नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 01 मार्च 2024 को शुरू, और 01 सितम्बर 2024 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

4. श्रमिकों के जीवन पर प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का आकलन

यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर भारत सरकार की मुख्य प्रमुख योजनाओं के व्यापक प्रभाव का आकलन करने और श्रमिकों के जीवन पर इन योजनाओं के प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। इस अध्ययन में तीन प्रमुख योजनाओं, अर्थात् सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0,

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), आजीविका और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का आकलन करने और उनकी प्रभावशीलता, श्रमिकों के जीवन पर उनके प्रभाव और योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को समझने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य

- भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित चुनिंदा प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव मूल्यांकन करना।
- इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुँच और लाभार्थियों पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- श्रमिकों/लाभार्थियों के जीवन पर योजनाओं के सामाजिक–आर्थिक कल्याण का आकलन करना।

परिणाम

4.1 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण

यह कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार और श्रमबल भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करता है। अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है और लाभार्थियों को लगातार पोषण की खुराक, स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण आदि मिल रहे हैं, जिसका उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये निष्कर्ष योजना के प्रदर्शन, कमियों, प्रभावशीलता, पहुँच और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही आगे सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं।

4.2 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) आजीविका

अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से आय और आजीविका में वृद्धि करने, वित्तीय, उद्यमशीलता और सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि इस योजना का आय स्तर, आत्मनिर्भरता और समग्र जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और सतत ग्रामीण विकास में प्रभावी योगदान मिला है। निष्कर्षों ने योजना के प्रदर्शन, पहचानी गई कमियों, प्रभावशीलता, पहुँच और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की है और आगे सुधार के लिए नीतिगत सुझाव दिए हैं।

4.3 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस प्रमुख योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एलपीजी का उपयोग करने से खाना पकाने का समय काफी कम हो गया है जिससे महिलाएं छोटे व्यवसायों जैसी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हो सकी हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है। इस योजना ने स्वास्थ्य सेवा की लागत को भी कम किया है, जिससे परिवारों को आर्थिक लाभ हुआ है। अध्ययन ने सूचना तक पहुँच, एलपीजी के असंगत उपयोग, भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं आदि से संबंधित चुनौतियों की पहचान की है और योजना में सुधार के लिए नीतिगत सुझाव दिए हैं।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 09 सितम्बर 2024 को शुरू, और 09 फरवरी 2025 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

5. कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय श्रम संस्थान एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों (चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता) का प्रदर्शन और अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) रूपरेखा (केपीआई के लिए रूपरेखा का विकास)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सलाह पर वीवीजीएनएलआई ने डीजीफासली के अंतर्गत केंद्रीय श्रम संस्थान एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के प्रदर्शन मूल्यांकन पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य अधिकारियों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रमुख कार्य–निष्पादन मापदंडों का विश्लेषण और प्रदर्शन संकेतक विकसित करना था।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), भारत के कारखानों और गोदी बाड़ों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के रखरखाव एवं संवर्धन हेतु सर्वोच्च निकाय है। 1945 में कारखानों के मुख्य सलाहकार के कार्यालय के रूप में स्थापित यह संस्थान, जिसे अब डीजीफासली कहा जाता है, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों पर सरकार और हितधारकों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह देश भर में केंद्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है। केंद्रीय श्रम संस्थान मुंबई में और क्षेत्रीय श्रम संस्थान चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता और शिलांग में स्थित हैं।

डीजीफासली का अधिदेश न केवल कारखानों में कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना है, बल्कि गोदी कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करना भी है। डीजीफासली का गोदी सुरक्षा प्रभाग विशेष रूप से गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों को लागू करने का कार्य करता है, ताकि भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कार्यरत गोदी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यदशाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

उद्देश्य

- डीजीफासली की कार्यप्रणाली को समझना
- प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण और केपीआई रूपरेखा और प्रदर्शन मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यप्रणाली विकसित करना
- केपीआई रूपरेखा के लिए एक कार्यान्वयन रणनीति विकसित करना
- डीजीफासली की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना

परिणाम

अध्ययन ने सभी स्तरों के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और प्रतिक्रिया, सरकारी प्रशासनिक सुधार दस्तावेजों से प्राप्त अंतर्दृष्टि और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक प्रदर्शन मानक प्रणाली का विश्लेषण और विकास किया है। यह ढाँचा एक समावेशी, साक्ष्य–आधारित और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें

डेटा–आधारित अंतर्दृष्टि पर जोर दिया गया है और यह निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है, पेशेवर विकास का समर्थन करता है और रणनीतिक निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। मूल्यांकन रिपोर्ट डीजीफासली को शासन और प्रदर्शन प्रबंधन में अग्रणी बनाने की दिशा में संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट भी प्रदान करती है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 09 दिसम्बर 2024 को शुरू, और 17 फरवरी 2025 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजना

- **महिलाएँ और कार्य का भविष्यः चुनौतियाँ और अवसर**

इस अनुसंधान का उद्देश्य भारत में कार्य के भविष्य से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना है, विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन, गिग अर्थव्यवस्था के विकास और हरित एवं देखभाल उद्योगों की ओर क्षेत्रीय बदलावों के संदर्भ में। यह समझना आवश्यक है कि भारत इन मुद्दों का समाधान कैसे करता है, ताकि उभरते श्रम बाजार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु भविष्य की नीतियों और पहलों को आकार दिया जा सके।

इस अनुसंधान से महिलाओं के सामने समान रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में आने वाली प्रमुख बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करने और नीति निर्माताओं के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की उम्मीद है, विशेष रूप से डिजिटल, हरित और देखभाल उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य समावेशी श्रम बाजार नीतियों के विकास में योगदान देना है, जो श्रम बाजार में हो रहे बदलावों के बीच महिला श्रमिकों की उभरती जरूरतों को पूरा करती हैं।

उद्देश्य

- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के रुझानों को समझना।
- भारत में महिलाओं के रोजगार पर तकनीकी परिवर्तन, डिजिटलीकरण और स्वचालन के प्रभाव और श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।
- श्रम बाजार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों की जाँच करना, विशेष रूप से डिजिटलीकरण में प्रगति और गिग अर्थव्यवस्था जैसे रोजगार के नए रूपों के उदय के संदर्भ में।
- भारत में रोजगार में लैंगिक अंतर को दूर करने और भविष्य के कामकाज में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 15 मार्च 2025 को शुरू किया गया, और 25 अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

कार्यशालाएँ / वेबिनार / सम्मेलन

- **विजन@2047: श्रम सुधारः मजदूरी संहिता 2019 पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर कार्यशाला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के लिए**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 16 मई 2024 को विज़न@2047: 'श्रम सुधारः मजदूरी संहिता 2019 पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती सुमिता डावरा, सचिव (श्रम और रोजगार), भारत सरकार ने की और इसमें ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम कल्याण महानिदेशालय, श्रम ब्यूरो, कार्यालय मुख्य श्रम आयुक्त, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, वीवीजीएनएलआई, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड और खान सुरक्षा महानिदेशालय के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- **प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017: प्रावधान, नीतियां और प्रथाएं पर वेबिनार, एसोचैम के सहयोग से**

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के सहयोग से 20 सितंबर 2024 को 'प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017: प्रावधान, नीतियां और प्रथाएं' पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और आगे की राह के सुझाव दिये गए। कार्यक्रम में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अधिनियम के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया, साथ ही चल रहे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए बेहतर जागरूकता और लक्षित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। डॉ. राजन वर्मा, डॉ. रोहित मणि तिवारी, श्री मनोज कुमार शर्मा, डॉ. एलीना सामंतराय, डॉ. अनादि एन. सिन्हा, सुश्री पूजा रामचंदानी और श्री बासुदेव मुखर्जी ने वेबिनार में व्याख्यान दिए। वेबिनार में 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का समन्वय श्री संतोष पाराशर, निदेशक, एसोचैम और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने संयुक्त रूप से किया।

- **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता' विषय पर सेंटर फॉर फैमिली लॉ और द क्लीनिक्स कमेटी, स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट विश्वविद्यालय के साथ एक सहयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन 28 जनवरी 2025 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा में किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक और संस्थागत स्तर पर पीओएसएच अधिनियम, 2013 को लागू करने के लिए आवश्यक व्यापक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बारे में छात्रों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना था। कार्यशाला में शैक्षणिक, कॉर्पोरेट और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए कानूनी ढांचे, प्रमुख प्रावधानों और केस लॉ विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. संगीता शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट विश्वविद्यालय ने कार्यशाला में व्याख्यान दिए। कार्यशाला में 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. खुशबू नथोलिया, सहायक प्रोफेसर, एवं डॉ. कोमल दहिया, सहायक प्रोफेसर, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो एवं डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया।

- **'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पर जागरूकता कार्यशाला**

संस्थान ने 06 फरवरी 2025 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना था। कार्यशाला में 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- **श्रमिक और औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन**

संस्थान ने बेनेट विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 27–28 फरवरी 2025 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में 'श्रमिक एवं औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास' विषय पर एक दो–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए श्रम नियमों और औद्योगिक संबंधों की बदलती गतिशीलता की जाँच करना था। इस सम्मेलन में प्रमुख विद्वानों, विधि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने श्रम कानून में हालिया विकास, कार्यबल पर वैश्वीकरण और डिजिटल परिवर्तन के प्रभावों, तथा श्रमिकों के अधिकारों, रोजगार मानकों और नियामक ढाँचों से संबंधित उभरते मुद्दों का विश्लेषण किया। सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर्विषयक बहस और सहयोग को बढ़ावा देना था, जिससे समकालीन श्रमिक और औद्योगिक कानून पर चर्चा को बढ़ावा मिला। प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुलश्रेष्ठ, डीन, विधि संकाय, बेनेट विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया। सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई मुख्य अतिथि थे। उन्होंने श्रमिक और औद्योगिक कानूनों के उभरते परिदृश्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत सरकार के पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त डॉ. ओंकार शर्मा मुख्य अतिथि थे और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई विशिष्ट अतिथि थीं। देश–विदेश के विद्वानों ने कई शोधपत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन का संचालन सुश्री नूपुर कुमारी, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एवं डॉ. प्रियंका चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **कौशल अंतराल को दूर करने पर पैनल चर्चा**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 10 मई 2024 को *'कौशल अंतराल को दूर करने पर पैनल चर्चा'* आयोजित की। चर्चा का उद्देश्य प्रतिभागियों को महिलाओं के सतत कौशल विकास में उभरते मुद्दों और सरोकारों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, कौशल विकास संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- **'परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य–जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली' पर कार्यशाला**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में 'परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य–जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली' विषय पर एक कार्यशाला 04 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) लचीली कार्य व्यवस्थाओं से संबंधित नीतियाँ बनाने हेतु नवीन रणनीतियों पर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण को समझना और उन पर चर्चा करना; और (ii) सुखी जीवन संतुष्टि सूचकांक के लिए कर्मचारियों के मध्य लचीली कार्य व्यवस्थाओं और कार्य–जीवन संतुलन के बीच अंतर्संबंधों पर चर्चा करना। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने स्वागत भाषण दिया। श्री सिद्धार्थ प्रकाश, वरिष्ठ संकाय, आर्ट ऑफ लिविंग ने उद्घाटन भाषण दिया। सत्र की शुरुआत सुश्री मोनिका गोयल (उपाध्यक्ष, मानव संसाधन, विनकुलम ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड), (एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय) के व्याख्यान से हुई और उसके बाद श्री जी.एस. विजयकुमार (महाप्रबंधक – वित्त प्रमुख, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड), सुश्री वैशाली बरुआ (राष्ट्रीय सलाहकार – केयर इकोनॉमी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण (डब्ल्यूईई), यूएन वीमेन), डॉ. अलका राय (सहायक प्रोफेसर, एनटीपीसी बिजनेस स्कूल, नौएडा) और श्री डी.वी. शास्त्री (कार्यकारी निदेशक, प्राकृतिक गैस सोसाइटी, नोएडा) के व्याख्यान हुए।

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर, प्रवास भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतःप्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुख अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की। केंद्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान एवं कार्यशालाएं/सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करना है। अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षेत्र इस प्रकार हैं:

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषयः

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं श्रम
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के प्रमुख प्रशिक्षण विषय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालयों के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व
- महिला कामगारों से संबंधित श्रमिक मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

1. श्रमिकों के जीवन पर प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का आकलन

यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर भारत सरकार की मुख्य प्रमुख योजनाओं के व्यापक प्रभाव का आकलन करने और श्रमिकों के जीवन पर इन योजनाओं के प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। इस अध्ययन में चार प्रमुख योजनाओं, अर्थात् अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का आकलन करने का प्रयास किया गया। इन योजनाओं का दायरा और कार्यप्रणाली इस प्रकार हैंः

दायरा

- यह अध्ययन कई राज्यों के संगठित और असंगठित श्रम क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, उत्पादकता और लैंगिक समावेशिता पर योजनाओं के प्रभाव पर केंद्रित है।
- यह बेरोज़गारी (एबीवीकेवाई), चिकित्सा संकट (पीएम–जेएवाई), असामयिक मृत्यु (पीएमजेजेबीवाई), और आकस्मिक विकलांगता/मृत्यु (पीएमएसबीवाई) जैसे जोखिमों से निपटने में प्रत्येक योजना की प्रभावशीलता की जाँच करता है।
- भौगोलिक क्षेत्र में अखिल भारतीय पहुँच शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के विस्तृत आँकड़े शामिल हैं।

कार्यप्रणाली

- **मिश्रित–विधि दृष्टिकोण**, जिसमें ये शामिल हैंः
    - आधिकारिक डैशबोर्ड (ईएसआईसी, एनएचए, डीएफएस) से **द्वितीयक आँकड़ा विश्लेषण**।
    - संरचित साक्षात्कारों के माध्यम से **प्राथमिक आँकड़ा संग्रहण**
        - एबीवीकेवाईः 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 394 लाभार्थी
        - पीएम–जेएवाईः उच्च नामांकन वाले ज़िलों में 1,018 संरचित साक्षात्कार।
- गुणात्मक अंतर्दृष्टि के लिए **केस स्टडी** और **तुलनात्मक विश्लेषण**।

1.1 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई):

उद्देश्य

अनैच्छिक बेरोजगारी के दौरान बीमित श्रमिकों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके सामाजिक–आर्थिक लचीलेपन को सहारा देना।

परिणाम

एबीवीकेवाई संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों को कम करने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के साथ इसकी समय पर वित्तीय सहायता सामाजिक सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अध्ययन में प्रस्तुत अंतर्दृष्टि और विश्लेषण भारत की श्रम कल्याण नीतियों की आधारशिला के रूप में इस योजना की भूमिका को पुष्ट करते हैं।

1.2 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई):

उद्देश्य

स्वास्थ्य पर होने वाले अत्यधिक व्यय को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

परिणाम

यह अध्ययन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित वित्तीय बोझ को कम करने, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच में सुधार लाने और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में पीएम–जेएवाई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गहन विश्लेषण और फील्डवर्क के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत निष्कर्ष इस ऐतिहासिक योजना की उपलब्धियों और सुधार के क्षेत्रों, दोनों को उजागर करते हैं।

1.3 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

उद्देश्य

किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए, विशेष रूप से गरीब और वंचित व्यक्तियों को किफायती जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना।

परिणाम

यह अध्ययन एक आँकड़ा–आधारित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो उपलब्धि के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है और साथ ही इसकी पहुँच एवं दक्षता को और मज़बूत करने के अवसरों की पहचान करता है। इसने श्रमिकों में स्थिरता की भावना को बढ़ावा दिया है और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है। इस अध्ययन में वर्णित मजबूत नामांकन आँकड़े और प्रभावशाली दावा निपटान अनुपात इस योजना की सफलता के प्रमाण हैं।

1.4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):

उद्देश्य

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों को कम लागत वाली दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना।

परिणाम

डेटा–आधारित अंतर्दृष्टि और साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से यह अध्ययन इस योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें इसकी व्यापक पहुँच, क्षेत्रीय समावेशिता और लाभार्थियों को समय पर वित्तीय

सहायता देना शामिल है। इस अध्ययन के निष्कर्ष श्रमिकों को सशक्त बनाने और आर्थिक कमजोरियों को कम करने में विशेष रूप से महिलाओं, अनौपचारिक श्रमिकों और उच्च जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगों के लिए इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को सितम्बर 2024 में शुरू, और फरवरी 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

2. जी20 देशों में सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्तपोषण

उद्देश्य

- जी20 देशों में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण मॉडल की समीक्षा करना
- जी20 देशों में सतत वित्तपोषण पर नवीन और सर्वोत्तम प्रथाओं के दृष्टिकोण का पता लगाना

परिणाम

यह अध्ययन जी20 देशों में सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य के व्यापक विश्लेषण पर प्रकाश डालता है। यह सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण की जटिलताओं का गहन अध्ययन करता है तथा वैश्विक चुनौतियों और संभावित समाधानों, दोनों पर प्रकाश डालता है। अनुसंधान, दीर्घकालिक योजना और सार्वजनिक सहभागिता को शामिल करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर भारत एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा ढांचे की स्थापना में निहित जटिलताओं को दृढ़तापूर्वक पार कर सकता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को नवम्बर 2022 में शुरू, और जून 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं अनुसंधान केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत श्रम और रोजगार के मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित नीतियाँ तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियाँ की जाती हैं। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं:

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- कार्य का भविष्य

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

गिग अर्थव्यवस्था को नेविगेट करनाः भारतीय गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अनुभवों और चुनौतियों की एक अंतर्विषयक जाँच

यह अध्ययन तेजी से बढ़ते क्षेत्र यानी प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है। अंतर्विषयक लेंस को अपनाकर अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि लिंग, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय असमानताएं जैसे विभिन्न कारक गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सूक्ष्म समझ उन समावेशी नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो महिलाओं के लिए समान पहुंच और उचित व्यवहार का समर्थन करती हैं, और अंततः भारत में अधिक समावेशी आर्थिक परिदृश्य में योगदान देती हैं।

उद्देश्य

अध्ययन के अनुसंधान उद्देश्य इस प्रकार थें:

- महिला गिग श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों का दस्तावेजीकरण करना और उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों की जाँच करना, साथ ही लैंगिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से गिग कार्य में महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं का आकलन करना और उन बाधाओं और बाध्यताओं का विश्लेषण करना जो गिग कार्य में महिलाओं को शामिल करने से रोकते हैं।
- यह विश्लेषण करना कि गिग अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करती है, विशेष रूप से आय सृजन और वित्तीय स्वतंत्रता के संदर्भ में।
- श्रम संहिताओं और राज्य गिग श्रमिक कानूनों सहित भारत में गिग श्रमिकों से संबंधित नवीनतम कानूनों और नियमों की जाँच करना, और सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे किसी भी कदम की जाँच करना जो महिला गिग श्रमिकों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि कानून और न्यायिक घोषणाएं।
- विशेष रूप से उन संहिताओं, जिन्हें वर्तमान में औपचारिक रूप दिया जा रहा है, के आलोक में मौजूदा ढाँचे के भीतर एक नीतिगत ढाँचे का सुझाव देना जो मौजूदा कमजोरियों को संबोधित कर सके, महिला गिग श्रमिकों के कल्याण को बढ़ा सके और उनके हितों की रक्षा कर सके।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन गुरुग्राम, दिल्ली और नौएडा में प्लेटफॉर्म कंपनियों और एग्रीगेटर्स के साथ चार माँग–आधारित श्रेणियों – घरेलू काम, ब्यूटीशियन कार्य, टैक्सी चलाना और भोजन पहुँचाना में किया गया। लक्षित स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये शहर देश में प्रवासन गलियारों में प्रमुख जगह हैं, इनमें दिल्ली एक टियर 1 शहर है और गुरुग्राम एवं नौएडा टियर 2 शहर हैं। अध्ययन में मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके शामिल हैं। गुणात्मक प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों में महिला गिग श्रमिकों (प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों) के साथ अर्ध–संरचित, गहन साक्षात्कार; खुली जाँच सूचियाँ; अन्य दृष्टिकोणों के साथ नियोजित एफजीडी आदि शामिल हैं। मात्रात्मक डेटा के संग्रह हेतु सर्वेक्षण करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध–संरचित प्रश्नावली पर आधारित क्लोज–एंडेड प्रश्नों का उपयोग किया गया।

परिणाम

अध्ययन गिग/प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अनुभवों पर प्रकाश डालता है, जिसमें शुरुआती–मध्य करियर (25–39 वर्ष) में उनकी प्रधानता, जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए लचीलेपन के लाभ और पारंपरिक भूमिकाओं की तुलना में आय संबंधी लाभ शामिल हैं। सशक्तिकरण के बावजूद चुनौतियों में अस्थिर परिस्थितियाँ, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और दीर्घकालिक व्यवहार्यता संबंधी धारणाएँ शामिल हैं। समान भागीदारी के लिए प्रवेश बाधाओं और संरचनात्मक समर्थन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को फरवरी 2024 में शुरू, और मार्च 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम.बी. और डॉ. प्रज्ञा परांडे, सलाहकार)

जारी अनुसंधान परियोजना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्य जगत पर इसका प्रभाव (ब्रिक्स अनुसंधान संस्थानों का नेटवर्क – 2025)

ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्य जगत पर इसके प्रभाव (2025) पर ब्रिक्स भारत के नेतृत्व में अध्ययन किया जा रहा है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों के सदस्य संस्थानों के अलावा नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रदान की गई तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त है। श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य समकालीन नीतिगत मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करना है ताकि इन अध्ययनों के इनपुट का उपयोग नीति निर्माण के साथ–साथ ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों के विचार–विमर्श के दौरान किया जा सके। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने विभिन्न दौर के अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. इस नए परिदृश्य के लिए कार्यबल की योग्यता और पुनर्योग्यता में शैक्षिक प्रणाली की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ एकीकरण के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं के विकास और श्रम बाजार पर इसके प्रभाव की जाँच करना।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन कार्य जगत पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की जाँच के लिए पूरी तरह से द्वितीयक साहित्य पर आधारित एक गुणात्मक और वर्णनात्मक शोध दृष्टिकोण अपनाता है। यह शोध एआई द्वारा प्रस्तुत रुझानों, पैटर्न, चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए मौजूदा अध्ययनों और रिपोर्टों की व्यापक साहित्य समीक्षा पर आधारित है। द्वितीयक डेटा विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र किया गया है, जिनमें सरकारी प्रकाशन, सहकर्मी–समीक्षित अकादमिक पत्रिकाएँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्युईएफ) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें और नीतिगत संक्षिप्त विवरण शामिल हैं। यह एआई और कार्य के इर्द–गिर्द विकसित हो रहे विमर्श को समझने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और सम्मेलन कार्यवाहियों में प्रस्तुत विशेषज्ञ चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि का भी उपयोग करता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2025 में शुरू किया गया और सितम्बर 2025 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम. बी., फेलो)

कार्यशालाएँ / वेबिनार

- **'विज़न 2047ः विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 25 फरवरी 2025 को विज़न 2047ः विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप पर एक आधे–दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों, जैसे गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और कार्यबल को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना था। इसमें भारत के कार्यबल की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विविध हितधारकों को शामिल करके, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करके और सहयोग को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी कार्रवाई को उत्प्रेरित करने का प्रयास किया गया।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ. धन्या एम.बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की। पैनल चर्चा की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त डॉ. ओंकार शर्मा ने की, जिसमें क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। विशेषज्ञों के पैनल में शामिल थेः श्री अमरनाथ त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नौएडा, श्री राजीव कपूर, सीईओ और एमडी, मानव रचना इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली; डॉ. विनोज अब्राहम, प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम; श्री मधु दामोदरन, क्षेत्रीय प्रबंध भागीदार, एएमएलईजीएएलएस, सीआईआई; डॉ. धन्या एम. बी., फेलो; श्री साजी नारायण, पूर्व अध्यक्ष, बीएमएस; डॉ. ग़ज़ाला अली खान, अतिरिक्त सीपीएफसी, ईपीएफओ।

कार्यशाला में श्रम विषय पर विशेष रूप से विभिन्न नियोक्ता संगठनों / उद्योगों से कार्य के भविष्य पर काम कर रहे 42 विशेषज्ञों, मंत्रालय, आईएलओ, ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **स्वचालन और कार्य का भविष्यः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 18 मार्च 2025 को वीवीजीएनएलआई, सैक्टर 24, नौएडा में 'स्वचालन और कार्य का भविष्यः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल' विषय पर एक–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्देश्य भारत में रोजगार पर ए.आई. के प्रभाव का विश्लेषण करके ज्ञान के अंतर को पाटना, यह आकलन करना था कि किन नौकरियों को स्वचालन से खतरा है और कार्यबल अनुकूलन के लिए कौशल सेट चुनौतियों की पहचान करना था। इसमें क्षेत्रीय बदलावों, नौकरी के ध्रुवीकरण, कौशल आवश्यकताओं, नौकरी विस्थापन और भविष्य में उभरते अवसरों पर स्वचालन के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए अन्य देशों के अनुभवों की जाँच की गई जो भारत को अपने कार्य के भविष्य को टिकाऊ और समावेशी तरीके से सुरक्षित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के स्वागत भाषण से हुई। उद्घाटन सत्र को श्री गेब्रियल एच. बोरदादो, कौशल एवं रोजगार विशेषज्ञ, डीडब्ल्यूटी (दक्षिण एशिया), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), नई दिल्ली; और डॉ. राधा आश्रित, संयुक्त सचिव एवं उप महानिदेशक, डीएमईओ, नीति आयोग, भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण विशेष संबोधनों से समृद्ध किया गया।

इसके बाद दो पैनल सत्र हुए। विशेषज्ञों के पहले पैनल में डॉ. अरूप मित्रा (दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय), डॉ. मनीश मिश्रा (नवीन जिंदल फाउंडेशन), श्री मोहम्मद रबीउल इस्लाम रबी (एडीबी, बांग्लादेश), और डॉ. धन्या एम.बी. (वीवीजीएनएलआई) शामिल थे। विशेषज्ञों के दूसरे पैनल में डॉ. पैट्रिजिया हस्लर (स्विट्जरलैंड), डॉ. थी थू हाइ ट्रान (वियतनाम), डॉ. राजलक्ष्मी दत्ता (एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय), सुश्री गुलशोदा बेगीमोरा (उज्बेकिस्तान), और श्री बुहारी आलिया (नाइजीरिया) शामिल थे।

कार्यक्रम में कार्य के भविष्य पर कार्यरत 41 विशेषज्ञों, नियोक्ता संगठनों/उद्योगों, मंत्रालयों के अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यूनियनों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **'श्रम अध्ययन' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान के सहयोग से 20 सितंबर 2024 को 'श्रम अध्ययन' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारत के श्रम कानूनों के परिदृश्य, संस्थाओं और नीति प्रक्रियाओं से परिचित कराना था। कार्यशाला में तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान, तमिलनाडु के 39 स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमः परिचय

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

कार्यक्रम की संरचना

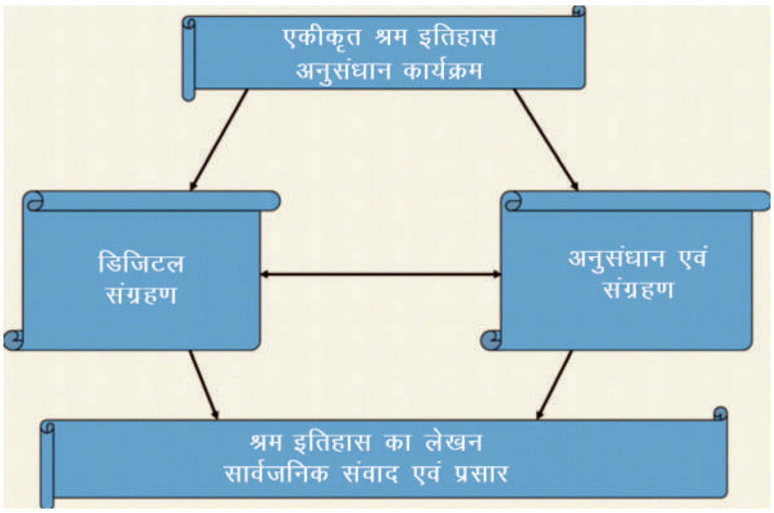

भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- संवर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

प्रौद्योगिकी, कौशल और उद्यमों के विकास के साथ श्रमिक आंदोलन का संबंध

उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी, कौषल और उद्यमों के विकास में श्रमिक समूहों की भूमिका को उजागर करना।
- मध्यकालीन, औपनिवेषिक और उत्तर–औपनिवेशिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौशल निर्माण और हस्तांतरण के विभिन्न चरणों पर ध्यान केंद्रित करना।
- श्रम इतिहास के अज्ञात पहलुओं, जैसे कौशल, प्रौद्योगिकी और उद्यमों के साथ इसके संबंध को समझना और उनका दस्तावेजीकरण करना।

- कौशल हस्तांतरण और कौशल निर्माण के औपचारिक शिक्षण केंद्रों और एजेंसियों के कम ज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालना।
- श्रमिकों के इतिहास में व्यावसायिक और जाति संघों की भूमिका को उजागर करना।

अध्ययन का दायरा

यह अध्ययन पूर्व–औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, कौशल और उद्यमों के विकास पर केंद्रित है। अध्ययन का वह भाग जो पूर्व–औपनिवेशिक काल से संबंधित है, कामकाजी लोगों तक कौशल के हस्तांतरण में 'व्यावसायिक संघों' और 'जाति संघों' की भूमिका पर केंद्रित है। यह लिंग और जातिगत दृष्टिकोण से भी कौशल हस्तांतरण पर प्रकाश डालता है। अध्ययन दर्शाता है कि पूर्व–औपनिवेशिक काल में भारत में हथकरघा से लेकर वस्त्र और लौह एवं इस्पात शिल्प तक एक समृद्ध और जीवंत शिल्प विरासत थी।

मुगलकालीन भारत अपने समृद्ध धातु उद्योगों और जटिल स्वर्ण एवं धातु शिल्प के लिए जाना जाता था। यह अध्ययन हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत के इन अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालता है और औपनिवेशिक काल के दौरान इनके पतन के कारणों की पड़ताल करता है। औपनिवेशिक काल में भारतीय शिल्प के पतन के कारणों का पता लगाते हुए यह अध्ययन 18वीं शताब्दी में इतिहासकारों के बीच इस पतन को लेकर चल रही बहस को भी शामिल करता है। अध्ययन से पता चलता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोप विशेष रूप से ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण ने भारत में वि–औद्योगिकीकरण की घटना को जन्म दिया। इस अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व सामाजिक इतिहास के अनछुए पहलुओं को शामिल करने में निहित है, अर्थात 'उन लोगों के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें इसमें स्थान नहीं मिला'।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को अपनाता है। यह हमारे अतीत की खोज के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों का उपयोग करता है।

परिणाम

इस अध्ययन में पारंपरिक शिल्प कौशल के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण और संरक्षण में कारीगरों, कुशल कारीगरों और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसने स्वतंत्रता–पूर्व भारत में तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता के विकास की दिशा का पता लगाया और उसके बाद के प्रमुख विकास पर भी प्रकाश डाला।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को मार्च 2024 में शुरु, और 26 नवम्बर 2024 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसायटी संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। केंद्र कानून–निर्माताओं, नीति निर्माताओं, योजनाकारों, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य लोगों को बाल श्रम की भेद्यता को कम करने के उनके कार्य में सहायता प्रदान करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान के छात्रों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और बच्चों के शैक्षिक और अन्य अधिकारों से संबंधित अन्य लोगों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं: अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

अनुसंधान

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और अनुसंधान अध्ययनों में निवारक उपाय विकसित करने के उद्देश्य से कामकाजी बच्चों के परिमाण, आयाम और बच्चों के श्रम शोषण के निर्धारक जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में तस्करी किए गए बच्चों एवं प्रवासी बाल श्रमिकों की कमजोरियों एवं असुरक्षिताओं पर फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, नीतिगत एवं विधायी रूपरेखा और उनके प्रवर्तन की स्थिति, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहने और काम करने की स्थिति, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। एनआरसीसीएल ने माइक्रो, मेसो और मैक्रो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर अनेक अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन पूरे किए हैं।

अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विशयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।

2. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के जारी रहने के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।

3. प्रतिकृति के लिए सफल अनुभवों का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को प्रासंगिक बनाना।

4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।

5. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनःएकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियाँ विकसित करना।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना /मामला अध्ययन

बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभः पश्चिम बंगाल में चाय बागानों का एक मामला अध्ययन

इस अध्ययन में पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के जीवन और कार्य स्थितियों की जाँच की गई, तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल क्षेत्र के चाय बागानों में श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले लाभों और उनके कवरेज की आलोचनात्मक जाँच करना था। यह अध्ययन इस बात का मूल्यांकन करता है कि चाय बागानों में श्रमिकों को विभिन्न वैधानिक, गैर–वैधानिक और योजना–आधारित लाभ किस हद तक सुलभ हैं। यह लाभ प्रदान करने और श्रमिकों के कल्याण और सभ्य कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का भी विश्लेषण करता है।

परिणाम

दार्जिलिंग और डुआर्स के सात चाय बागानों में सर्वेक्षण किए गए, जिसमें 300 से अधिक श्रमिकों को कवर किया गया और प्रमुख हितधारकों को शामिल किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि जहाँ चालू बागान आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करते हैं, वहीं बागान बंद होने से श्रमिक असुरक्षित हो जाते हैं, और जागरूकता के अभाव के कारण कई सरकारी योजनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। अध्ययन श्रमिक कल्याण और आजीविका की स्थिरता को बढ़ाने के लिए वेतन, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में नीतिगत सुधारों की सिफारिश करता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को 28 मार्च 2024 को शुरू, और 14 फरवरी 2025 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. मनोज जाटव, फेलो)

कार्यशाला

संस्थान मे 03 जुलाई 2024 को 'रोज़गार का भविष्यः चुनौतियाँ और अवसर' विषय पर एक विशेष व्याख्यान–सह–कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय बदलावों और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में कार्य, कार्यबल और कार्यस्थल की बदलती प्रकृति का पता लगाना था। कार्यशाला में शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार और सिविल सोसायटी के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, फेलो ने किया।

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी गंभीर हो जाता है। जलवायु परिवर्तन और कार्य जगत के साथ इसके अंतर–संबंधों से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए वर्ष 2010 में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य नीति–उन्मुख अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं आजीविका के साथ इसकी अंतर–संबद्धता पर मामला अध्ययन करना है।

मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अंतर–संबंधों को समझना;
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियाँ तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण;
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन, लिंग पर इसका प्रभाव;
- निर्वाह खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र में लगे कमजोर श्रमिकों, तटीय मत्स्यपालन/नमक/कृषि समुदायों और स्वदेशी वन आश्रित अनुसूचित जनजातियों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- आजीविका सुरक्षा के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में नरेगा की भूमिका।

प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के मुख्य क्षेत्र

- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी के नुकसान से बचाव करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मैक्रो नीतियों को फिर से उन्मुख करने में नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों की भूमिका;
- जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से आजीविका पर इसके संभावित प्रभाव और विभिन्न अनुकूलन और शमन रणनीतियों के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम;
- कौशल, प्रौद्योगिकी और कार्य के भविष्य, हरित कार्य, उद्यमिता पर क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।

पूरा किया गया मामला अध्ययन

कार्य और कौशल प्रभावः महिला श्रमिकों से संबंधित मामलों का विश्लेषण – एक मामला अध्ययन

उद्देश्य

- यह अध्ययन महिला श्रमिकों पर कौशल प्रभाव का विश्लेषण करता हैः एक मामले में, कौशल तक पहुँच के अभाव में स्थिरता के साथ–साथ बनी रहने वाली भेद्यता का पहलू, और दूसरे मामले में, यह कि कैसे एक रणनीतिक हस्तक्षेप महिला निर्माण श्रमिकों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के साथ–साथ कौशल अंतर को पाटता है।
- अध्ययन का दूसरा उद्देश्य महिला श्रमिकों के लिए लक्षित कौशल विकास उपायों का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु सरकारी एजेंसियों और अन्य सामाजिक भागीदारों की भूमिका पर जोर देना था ताकि कोई भी वंचित न रहे।

परिणाम

- यह अध्ययन दो मामलों की तुलना करके महिला श्रमिकों के संदर्भ में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में कौशल की भूमिका का विश्लेषण करता हैः शिलांग, मेघालय के निकट पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक और अहमदाबाद में सेवा द्वारा प्रोत्साहित रचैता मंडली की महिला निर्माण श्रमिक।
- पहले मामले में, पत्थर तोड़ने वाली महिला श्रमिक एक गतिहीन और असुरक्षित कार्य स्थिति में जी रही हैं और अपने कौशल विकास के लिए किसी रणनीतिक हस्तक्षेप के अभाव में बहुत कम कमा पा रही हैं, जबकि दूसरे मामले में, सेवा के प्रयासों से रचैता मंडली की पहल के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को अल्पकालिक निर्माण कौशल प्रशिक्षण और बढ़ी हुई मजदूरी आय प्रदान करके सशक्त बनाया जा रहा है।
- यह मामला अध्ययन दोनों मामलों में कौशल के प्रभाव पर प्रकाश डालता है और तर्क देता है कि हरित कार्यों के संदर्भ में कौशल विकास के लिए मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं को श्रमिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सकता है, नीतिगत सुसंगतता और हितधारकों व सामाजिक भागीदारों की सक्रिय भागीदारी और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें बेहतर रोजगार और कमाई के अवसरों का लाभ मिल सकता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2024 में शुरू, और जनवरी 2025 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो)

कार्यशालाएँ/अध्ययन दौरे

अध्ययन दौरा

- वीवीजीएनएलआई ने 22 अप्रैल 2024 को एमएबी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल साइंस, डोमकल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पाँच–वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के 22 छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरे का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने किया और इसमें भाग लेने वाले छात्रों एवं संकाय सदस्यों को कार्य जगत में आ रहे बदलाव और श्रम कानून व्यवसायियों की भूमिका से परिचित कराया।

- **श्रम एवं विकास पर कार्यशाला**

वीवीजीएनएलआई ने एनएसएसटीए के सहयोग से 17 मई 2024 को भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के 46वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 'श्रम एवं विकास' पर एक एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को श्रम बाजार और विकास के परिप्रेक्ष्य, श्रम पर आधिकारिक डेटाबेस, जेंडर

और विकास के लिए श्रम के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस कार्यशाला में 30 परिवीक्षार्थियों ने भाग लिया और कार्यशाला का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने किया।

- **युवाओं के कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगारपरकता पर अभिमुखीकरण कार्यशाला**

संस्थान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सांध्यकालीन) के सहयोग से 14 फरवरी 2025 को नौएडा परिसर में 'युवाओं के कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगारपरकता' पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को उभरते कार्य परिवेश से परिचित कराना और यह बताना था कि युवाओं को प्रासंगिक कौशल और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से कैसे सशक्त बनाया जा सकता है ताकि उनकी रोजगारपरकता बढ़े और एनसीएस तथा ई–श्रम की भूमिका के संदर्भ में अन्य युवाओं की भी मदद की जा सके। इसमें 43 छात्रों और 04 संकाय सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने किया।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने पिछले कई वर्षों से समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ); संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ); विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ); संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी); जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी); कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई); अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम); श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान; यूएन वीमेन; आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी; सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन, आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दुनिया में लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम, कार्य का भविष्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 113 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 135 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2586 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। वर्ष 2023–24 के दौरान आईटीईसी के तहत 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन, इटली ने 2018–2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग, नीति निर्माण पर अनुकरण आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण आदि से संबंधित सुझावों को शामिल करने तथा भारत से अन्य विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के बाद समझौता ज्ञापन के नवीकरण के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

इस दौरान वीवीजीएनएलआई ने आईएलओ, जिनेवा और आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के सहयोग से 07–11 अप्रैल 2025 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में उत्कृष्ट श्रम हेतु साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित **श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क** का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैं: नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन, रूस; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इस अवधि के दौरान श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवक के तहत संस्थान ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजना पूरी की:

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

प्लेटफॉर्म रोजगारः श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के श्रम विनियमन की समस्याएं– श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क (2024)

ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के तहत 'प्लेटफॉर्म रोजगारः श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के श्रम विनियमन की समस्याएं' (2024) पर ब्रिक्स भारत के नेतृत्व में अध्ययन किया गया।

उद्देश्य

चालू वर्ष में ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के फोकस के अनुसार नेटवर्क द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए हैं:

- राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्लेटफॉर्म रोजगार और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कानूनी स्थिति, अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या करना और भारत में प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कानूनी विनियमन चुनौतियों और सामाजिक गारंटियों का समाधान करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लेटफॉर्म रोजगार के विकास में मध्यम अवधि के रुझानों का अनुमान लगाना।
- भारत में प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक–जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और प्लेटफॉर्म रोजगार संरचना का विश्लेषण करना।
- प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक साझेदारी की संभावनाओं का परीक्षण करना।

कार्यप्रणाली

यह सर्वेक्षण हैदराबाद, राजस्थान, मुंबई और दिल्ली में दो माँग–आधारित श्रेणियों टैक्सी चलाना और भोजन पहुँचाना (कैब ड्राइविंग और फूड डिलीवरी) के प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ किया गया। लक्षित स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये शहर देश में प्रवासन गलियारों में प्रमुख जगह हैं। वर्तमान अध्ययन में मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियाँ शामिल हैं। गुणात्मक प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों में प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ अर्ध–संरचित, गहन साक्षात्कार, खुली जाँच सूचियाँ, अन्य दृष्टिकोणों के साथ एफजीडी नियोजित आदि शामिल हैं। मात्रात्मक डेटा के संग्रह हेतु सर्वेक्षण करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध–संरचित प्रश्नावली पर आधारित क्लोज–एंडेड प्रश्नों का उपयोग किया गया। उपयुक्त नमूनाकरण तकनीक के साथ एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि का उपयोग किया गया।

परिणाम

गिग इकॉनमी महानगरों में फल–फूल रही है, जहाँ युवाओं को लैंगिक असमानताओं के साथ शामिल किया जाता है – महिलाएँ सौंदर्य क्षेत्र में, पुरुष परिवहन क्षेत्र में। कर्मचारी लचीली आय के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें अस्थिरता, सुरक्षा जोखिमों और सीमित करियर विकास का सामना करना पड़ता है। स्थायी क्षेत्र विकास के लिए रोज़गार सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत सुधार और सार्वजनिक–निजी सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को फरवरी 2024 में शुरू, और अक्तूबर 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम. बी., फेलो)

प्रशिक्षण और शिक्षा (2024–25)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एकीकृत तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से लगातार प्राप्त फीडबैक का प्रयोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के साथ–साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभावित साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैः

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्श 2024–25 के दौरान संस्थान ने 151 ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 3578 कार्मिकों ने भाग लिया।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक भूमिका, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 13 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 233 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 15 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के श्रमिकों और संगठनकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 70 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1727 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ.साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 06 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 09 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 217 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और संरक्षण, नेतृत्व कौशल में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कार्य का भविष्य – डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट श्रम की ओर और कार्य संस्कृति में सुधार के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऐसे कुल 04 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें कुल 112 विदेशी नागरिकों ने भाग लिय

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपर्युक्त विषयों पर 10 ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 215 कार्मिकों ने भाग लिया

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने राज्य श्रम संस्थानों तथा समान उद्देश्य वाले संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, मैनेज, हैदराबाद; एसएलआई ओडिशा; अम्बेडकर विश्वविद्यालय; और लोयला कॉलेज, चेन्नई के सहयोग से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 09 ऑनलाइन कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें 387 प्रतिभागियों ने भाग लिय

आंतरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने छत्तीसगढ़ के श्रम निरीक्षकों, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के श्रम निरीक्षकों एवं एएलसी, ईएसआईसी के उप निदेशकों/इंजीनियरों, डीजीएमएस अधिकारियों, नौसेना, एचपीसीएल, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और डीजी फासली के अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 13 आंतरिक ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में कुल 386 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों/शोधार्थियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुल मिलाकर, ऐसे 02 ऑनलाइन कार्यक्रम और एक ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)				
1.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं पर जागरूकता को मजबूत करना	20–24 मई 2024	05	10	संजय उपाध्याय
2.	श्रम संहिताएं और नियम	15–16 जुलाई 2024	02	27	रूमा घोष
3.	श्रम संहिताएं और नियम	15–16 जुलाई 2024	02	19	संजय उपाध्याय
4.	क्षर्य का भविष्य–उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना	22–24 जुलाई 2024	03	15	रूमा घोष
5.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और नियम	05–06 अगस्त 2024	02	15	रूमा घोष
6.	संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजनाएँ	07–09 अगस्त 2024	03	07	रूमा घोष
7.	महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से संबंधित कानून	20–22 अगस्त 2024	03	12	शशि बाला
8.	श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	21–23 अगस्त 2024	03	21	संजय उपाध्याय
9.	भारत में मजदूरी नीतियाँ: मजदूरी संहिता के विशेष संदर्भ में	27–29 अगस्त 2024	03	21	धन्या एम. बी.
10.	कार्य कुशलता और प्रभावी वितरण को बढ़ाना	05–09 अगस्त 2024	05	32	अमिताभ खुंटिआ
11.	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना	04–08 नवम्बर 2024	05	14	नागेश नितला
12.	कल्याणकारी और विकास उपायों के कुशल और प्रभावी वितरण के लिए सुशासन	16–20 दिसम्बर 2024	05	13	अमिताभ खुंटिआ
13.	श्रम निरीक्षक से सुविधाकर्ता में आदर्श बदलाव पर दो दिवसीय कार्यशाला	17–18 फरवरी 2025	02	27	मनोज जाटव
	उप–योग: 13		**43**	**233**	
	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
14.	घरेलू जांच से संबंधित प्रक्रियात्मक और कानूनी पहलुओं की समझ	08–12 अप्रैल 2024	05	07	शशि बाला
15.	भारत में श्रम और रोजगार से संबंधित कानूनों पर जागरूकता निर्माण: नई श्रम संहिताओं पर विशेष फोकस के साथ	15–19 अप्रैल 2024	05	12	धन्या एम. बी.
16.	कार्य दक्षता बढ़ाना	24–28 जून 2024	05	07	शशि बाला
17.	भारत में श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	22–26 जुलाई 2024	05	14	शशि बाला
18.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल	29 जुलाई – 02 अगस्त 2024	05	09	डॉ. शशि बाला
19.	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	29 जुलाई – 02 अगस्त 2024	05	39	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
20.	भारत में श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	12–14 अगस्त 2024	03	09	एलीना सामंतराय
21.	सतत विकास के नेतृत्व विकास कार्यक्रम	18–22 नवम्बर 2024	05	08	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
22.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	25–29 नवम्बर 2024	05	16	संजय उपाध्याय
23.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में क्षमता बढ़ाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	09–13 दिसम्बर 2024	05	08	शशि बाला
24.	नई श्रम संहिताएं: मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	16–18 दिसम्बर 2024	05	09	नागेश नितला
25.	कौशल, प्रौद्योगिकी और कार्य का भविष्य	27–31 जनवरी 2025	05	07	अमिताभ खुंटिआ
26.	उभरते कार्य वातावरण में मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन	17–20 फरवरी 2025	04	09	अमिताभ खुंटिआ
27.	भारत में श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	03–07 मार्च 2025	05	08	नागेश नितला
28.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	03–05 मार्च 2025	03	08	नागेश नितला
	उप–योग: 15		**68**	**170**	
	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)				
29.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	08–12 अप्रैल 2024	05	13	शशि बाला
30.	श्रम एवं विकास पर अभिविन्यास कार्यशाला	15–19 अप्रैल 2024	05	23	अमिताभ खुंटिआ
31.	नई श्रम संहिताएं: मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	15–19 अप्रैल 2024	05	12	संजय उपाध्याय
32.	सोशल मीडिया प्रबंधन	29 अप्रैल – 01 मई 2024	03	18	अमिताभ खुंटिआ
33.	लिंग और प्रवासन	06–10 मई 2024	05	34	एलीना सामंतराय
34.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियाँ विकसित करना	06–10 मई 2024	05	18	शशि बाला
35.	लैंगिक और श्रमिक कानून: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	13–17 मई 2024	05	48	एलीना सामंतराय
36.	ग्रामीण विकास में अनुसंधान पद्धतियां (ऑनलाइन) (लोयोला कॉलेज)	13–17 मई 2024	05	25	शशि बाला
37.	ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसायटी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	20–24 मई 2024	05	33	शशि बाला
38.	करियर विकास में क्षमता निर्माण	27–31 मई 2024	05	13	अमिताभ खुंटिआ
39.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम **(दत्तोपंत)**	10–12 जून 2024	03	25	नागेश नितला
40.	लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दे	19–21 जून 2024	03	27	एलीना सामंतराय
41.	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	18–21 जून 2024	04	43	मनोज जाटव
42.	जलवायु परिवर्तन के आलोक में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन	01–05 जुलाई 2024	05	24	अमिताभ खुंटिआ
43.	लैंगिक संवेदनशील वातावरण सुगम बनाना: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण	08–12 जुलाई 2024	05	24	शशि बाला
44.	सतत विकास के नेतृत्व विकास कार्यक्रम	15–19 जुलाई 2024	05	33	शशि बाला
45.	भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की दिशा में हालिया पहल	29 जुलाई – 02 अगस्त 2024	05	33	संजय उपाध्याय
46.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 जुलाई – 02 अगस्त 2024	05	13	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
47.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	29 जुलाई – 02 अगस्त 2024	05	10	शशि बाला
48.	सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझना	12–14 अगस्त 2024	03	16	रूमा घोष
49.	उद्यमशीलता कौशल विकास	12–16 अगस्त 2024	05	21	नागेश नितला
50.	जेंडर और परिवर्तनकारी नेतृत्व	27–30 अगस्त 2024	04	30	एलीना सामंतराय
51.	असुरक्षित मैनुअल श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	19–23 अगस्त 2024	05	36	मनोज जाटव
52.	निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	28–30 अगस्त 2024	03	17	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
53.	कार्यस्थल में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना	17–20 सितम्बर 2024	04	07	शशि बाला
54.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में क्षमता बढ़ाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 सितम्बर–04 अक्तूबर 2024	05	07	शशि बाला
55.	संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजनाएं	09–11 सितम्बर 2024	03	27	रूमा घोष
56.	ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसायटी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	02–06 सितम्बर 2024	05	22	शशि बाला
57.	प्रभावी नेतृत्व के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड)	02–06 सितम्बर 2024	05	16	शशि बाला
58.	प्रवासन एवं विकासः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	09–11 सितम्बर 2024	03	18	धन्या एम. बी.
59.	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक डेटा प्रबंधन और विश्लेषणात्मक लेखन	30 सितम्बर–04 अक्तूबर 2024	05	41	मनोज जाटव
60.	युवा नियोजनीयता और उद्यमिता के लिए कौशल	02–06 सितम्बर 2024	05	27	अमिताभ खुंटिआ
61.	असम सरकार के श्रम अधिकारियों के लिए श्रम सुधारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (असम)	07–08 अक्तूबर 2024	02	16	ओंकार शर्मा
62.	नई श्रम संहिताएंः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	09–13 सितम्बर 2024	05	31	संजय उपाध्याय
63.	भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की दिशा में हालिया पहल	07–11 अक्तूबर 2024	05	22	संजय उपाध्याय
64.	महिलाओं के मध्य रोजगारपरकता और उद्यमिता को बढ़ावा देना	14–18 अक्तूबर 2024	05	37	अमिताभ खुंटिआ
66.	सामाजिक सुरक्षा और श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम	16–18 अक्तूबर 2024	03	25	नागेश नितला
66.	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, श्रम संहिताओं और बीओसीडब्ल्यू एमआईएस पोर्टल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	21–22 अक्तूबर 2024	02	29	संजय उपाध्याय
67.	संगठनात्मक विकास के लिए नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम	23–25 अक्तूबर 2024	03	18	नागेश नितला
68.	श्रम सुधारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मानव संसाधन पेशेवरों के लिए 'श्रम संहिताओं की व्याख्या' (कर्नाटक)	25 अक्तूबर 2024	01	120	ओंकार शर्मा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
69.	'श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण और संहिताओं के तहत नियमों का प्रारूपण' केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के श्रम अधिकारियों के लिए	28–29 अक्तूबर 2024	02	15	ओंकार शर्मा
70.	श्रम और विकास संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अभिसरण और साझेदारी	04–08 नवम्बर 2024	05	14	अमिताभ खुंटिआ
71.	एसआईआरडी के प्रतिभागियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	11–13 नवम्बर 2024	03	20	शशि बाला
72.	जमीनी स्तर के असंगठित श्रमिकों की शिक्षा और आयोजकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड)	11–13 नवम्बर 2024	03	28	नागेश नितला
73.	पंचायती राज संस्थाएँ और श्रमिकों को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका	18–20 नवम्बर 2024	03	18	नागेश नितला
74.	सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों पर अभिविन्यास कार्यक्रम	18–20 नवम्बर 2024	03	32	नागेश नितला
75.	"श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण और संहिताओं के अंतर्गत नियमों का प्रारूपण" संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार के श्रम अधिकारियों के लिए	18–20 नवम्बर 2024	03	20	ओंकार शर्मा
76.	कार्य का भविष्य – गिग श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना	25–27 नवम्बर 2024	03	36	रूमा घोष
77.	नेतृत्व कौशल विकास पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड)	25–27 नवम्बर 2024	03	20	नागेश नितला
78.	प्रभावी संगठन और व्यक्तित्व निर्माण की क्षमता बढ़ाना	27–29 नवम्बर 2024	03	21	नागेश नितला
79.	"श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण और संहिताओं के अंतर्गत नियमों का प्रारूपण" मेघालय के श्रम, विधि एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों तथा डीजीफासली अधिकारियों के लिए	28–29 नवम्बर 2024	02	30	ओंकार शर्मा
80.	जेंडर एवं उद्यमिता एक साथ	16–20 दिसम्बर 2024	05	29	नागेश नितला
81.	निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (बीओसीडब्ल्यु)	13–15 जनवरी 2025	03	26	रूमा घोष
82.	श्रम संहिताओं को समझने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	16–17 जनवरी 2025	02	20	एलीना सामंतराय
83.	"श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण और संहिताओं के अंतर्गत नियमों का प्रारूपण" श्रम, विधि एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (चेन्नई)	22–23 जनवरी 2025	02	25	ओंकार शर्मा
84.	श्रम संहिताओं को समझने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	30–31 जनवरी 2025	02	34	नागेश नितला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
85.	नेतृत्व कौशल विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	30–31 जनवरी 2025	02	17	नागेश नितला
86.	सामाजिक सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	03–05 फरवरी 2025	03	12	नागेश नितला
87.	श्रम संहिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	03–05 फरवरी 2025	03	14	नागेश नितला
88.	महिलाएं एवं कार्य का भविष्य	03–07 फरवरी 2025	05	44	एलीना सामंतराय
89.	घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	03–07 फरवरी 2025	05	16	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
90.	श्रम संहिताओं को समझने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	06–07 फरवरी 2025	02	07	संजय उपाध्याय
91.	सुशासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	12–14 फरवरी 2025	03	16	नागेश नितला
92.	लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दे	12–14 फरवरी 2025	03	17	नागेश नितला
93.	श्रम संहिताओं को समझने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	20–21 फरवरी 2025	02	32	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
94.	सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार की जानकारी	24–28 फरवरी 2025	05	27	धन्या एम. बी.
95.	भारत में श्रम, रोजगार और सतत विकास लक्ष्य	03–07 मार्च 2025	05	21	नागेश नितला
96.	पंचायती राज संस्थाओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	19–21 मार्च 2025	03	22	नागेश नितला
97.	सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	19–21 मार्च 2025	03	20	नागेश नितला
98	लिंग, कार्य और विकास	24–28 मार्च 2025	05	22	अमिताभ खुंटिआ
	उप–योगः 70		**265**	**1727**	
	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)				
99.	श्रम इतिहास पर अनुसंधान पद्धतियाँ	24–28 जून 2024	05	17	धन्या एम. बी.
100	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियाँ	01–05 जुलाई 2024	05	17	रूमा घोष
101	श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियाँ	09–13 सितम्बर 2024	05	21	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
102	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियाँ	07–11 अक्तूबर जुलाई 2024	05	22	धन्या एम. बी.
103	लैंगिक और श्रमिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियाँ	02–06 दिसम्बर 2024	05	17	एलीना सामंतराय
104	व्यवहार संबंधी अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ	16–20 दिसम्बर 2024	05	09	शशि बाला
	उप–योगः 06		**30**	**103**	
	बाल श्रम और बंधुआ श्रम कार्यक्रम (सीएलबीएलपी)				
105	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम	24–26 जुलाई 2024	03	14	मनोज जाटव
106	उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम	17–19 सितम्बर 2024	03	15	मनोज जाटव
107	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम	23–25 सितम्बर 2024	03	27	मनोज जाटव
108	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	21–24 अक्तूबर 2024	04	21	मनोज जाटव

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
109	उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम	11—13 दिसम्बर 2024	03	18	मनोज जाटव
110	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	06—08 जनवरी 2025	03	15	मनोज जाटव
111	कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करने और बचाये गये बाल श्रमिकों/बंधुआ मजदूरों/ तस्करी वाले मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास पर अभिविन्यास कार्यक्रम	20—22 जनवरी 2025	03	30	मनोज जाटव
112	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम	03—05 मार्च 2025	03	07	मनोज जाटव
113	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन पर ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम	17—19 मार्च 2025	03	70	मनोज जाटव
	उप—योगः 09		**28**	**217**	
	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)				
114	नवोन्मेशी नेतृत्वः परिवर्तन लाना और विकास को बढ़ावा देना	02—20 दिसम्बर 2024	19	30	धन्या एम. बी.
115	कार्य का भविष्य—उत्कृष्ट श्रम, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की ओर	20 जनवरी — 07 फरवरी 2025	19	27	रूमा घोष
116	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	10—28 फरवरी 2025	19	28	एलीना सामंतराय
117	कार्य का भविष्य और प्रौद्योगिकी	10—28 मार्च 2025	19	27	धन्या एम. बी.
	उप—योगः 04		**76**	**112**	
	उत्तर—पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम (एनईपी)				
118	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	29 अप्रैल — 03 मई 2024	05	30	शशि बाला
119	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	24—28 जून 2024	05	36	एलीना सामंतराय
120	श्रम में लैंगिक मुद्दे: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए,	01—05 जुलाई 2024	05	27	शशि बाला
121	श्रम संहिताएंः प्रमुख विशेषताएं एवं परिप्रेक्ष्य	08—12 जुलाई 2024	05	13	संजय उपाध्याय
122	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना	23—27 सितम्बर 2024	05	14	संजय उपाध्याय
123	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	30 सितम्बर — 04 अक्तूबर 2024	05	13	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
124	असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	11—14 नवम्बर 2024	04	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
125	पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देना	25—29 नवम्बर 2024	05	17	अमिताभ खुंटिआ
126	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	09—13 दिसम्बर 2024	05	21	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
127	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	10—28 फरवरी 2025	05	32	धन्या एम. बी.
	उप—योगः 10		**49**	**215**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
	सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)				
128	ऑनलाइन ज्ञान–पोषण पंचायतें: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम (मैनेज)	10–12 सितम्बर 2024	03	50	शशि बाला
129	श्रम सुधारों पर सहयोगात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, श्रम विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा गांधी भवन, कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित, श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए	06–07 दिसम्बर 2024	02	90	संजय उपाध्याय
130	श्रम सुधारों पर सहयोगात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, श्रम विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा राज्य अतिथि गृह, जम्मू में आयोजित, श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए	09–10 दिसम्बर 2024	02	85	संजय उपाध्याय
131	नैसकॉम के सहयोग से डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम 'अन्वेषणात्मक डेटा विश्लेषण'	27 जनवरी 2025	01	27	शशि बाला
132	आईआईएम, रोहतक और वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, रोहतक द्वारा प्रबंधन की मूल बातें पर सहयोगात्मक कार्यक्रम, केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए	27–31 जनवरी 2025	05	27	संजय उपाध्याय
133	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर, अहमदाबाद और वी.वी. गिरि राश्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा जीएनएलयू, गांधीनगर में कानून की मूल बातें पर सहयोगात्मक कार्यक्रम, केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए	10–14 फरवरी 2025	05	27	संजय उपाध्याय
134	नैसकॉम के सहयोग से डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम 'डेटा अधिग्रहण'	03 मार्च 2025	01	25	शशि बाला
135	नैसकॉम के सहयोग से डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम 'डेटा प्रोसेसिंग और विज़ुअलाइज़ेशन'	12 मार्च 2025	01	27	शशि बाला
136	नैसकॉम के सहयोग से डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम 'अन्वेषणात्मक डेटा विश्लेषण'	17 मार्च 2025	01	29	शशि बाला
	उप–योग: 09		**23**	**387**	
	आंतरिक कार्यक्रम (आईएचपी)				
137	ओडिशा सरकार के सहायक श्रम अधिकारियों (एएलओ) के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	10–14 जून 2024	05	77	एलीना सामंतराय मनोज जाटव
138	बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोगों और एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर आदि पर संगठन–विशिष्ट अभिविन्यास कार्यक्रम, नौसेना अधिकारियों के लिए	23–27 सितम्बर 2024	05	30	शशि बाला
139	स्थापना नियम, डीपीसी, आरक्षण रोस्टर का निर्माण और रखरखाव, नौसेना अधिकारियों के लिए	14–18 अक्तूबर 2024	05	29	शशि बाला
140	कैट और आरटीआई मामलों का संचालन, नौसेना अधिकारियों के लिए	14–18 अक्तूबर 2024	05	31	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
141	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, नौसेना अधिकारियों के लिए	18–22 नवम्बर 2024	05	28	शशि बाला
142	प्रशिक्षण डिजाइन और आवश्यकता विश्लेषण, नौसेना अधिकारियों के लिए	18–22 नवम्बर 2024	05	32	शशि बाला
143	नेतृत्व विकास कैप्सूल, नौसेना महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए	09–13 दिसम्बर 2024	05	22	शशि बाला
144	अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जेटीएस अधिकारियों के लिए	23 दिसम्बर 2024–12 मार्च 2025	70	27	संजय उपाध्याय मनोज जाटव
145	अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अदालती मामलों का संचालन और मुकदमेबाजी प्रबंधन, नौसेना अधिकारियों के लिए	06–10 जनवरी 2025	05	10	शशि बाला
146	सतत विकास के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	06–10 जनवरी 2025	05	22	शशि बाला
147	वेतन नियतन और पेंशन की पात्रता, नौसेना अधिकारियों के लिए	20–22 जनवरी 2025	03	21	शशि बाला
148	कार्य निष्पादन में सुधार करना, नौसेना अधिकारियों के लिए	10–14 फरवरी 2025	05	30	शशि बाला
149	सॉफ्ट स्किल्स पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीजीएमएस अधिकारियों के लिए	24–28 फरवरी 2025	05	27	शशि बाला
	उप–योग 13		**138**	**386**	
	विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी)				
150	अनुसंधान कैसे संचालित किए जाएं	04–06 जून 2024	03	18	धन्या एम. बी.
151	अनुसंधान कैसे संचालित किए जाएं	24–26 मार्च 2025	03	18	नागेश नितला
	उप–योग: 02		**06**	**36**	
	योग		**726**	**3586**	

प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण (अप्रैल 2024–मार्च 2025)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की सं.	मानव दिवसों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	13	43	749	233
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	15	68	754	170
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	70	265	6406	1727
4.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	06	30	515	103
5.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलबीपी)	09	28	642	217
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईटीपी)	04	76	2128	112
7.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	10	49	1063	215
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीटीपी)	09	23	978	387
9.	आंतरिक कार्यक्रम (आईएचटीपी)	13	138	3913	386
10.	विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी)	02	06	108	36
	जोड़	**151**	**726**	**17256**	**3586**

कार्यशालाओं/अध्ययन दौरों की सूची
अप्रैल 2024–मार्च 2025

क्रम सं.	कार्यशाला/वेबिनार	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
1.	कौशल अंतराल को दूर करने पर पैनल चर्चा	10 मई 2024	01	18	शशि बाला
2.	विजन@2047ः श्रम सुधारः मजदूरी संहिता, 2019 पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के लिए	16 मई 2024	01	70	एलीना सामंतराय
3.	श्रम और विकास पर कार्यशाला, एनएसएसटीए के छात्रों के लिए	17 मई 2024	01	32	अमिताभ खुंटिआ
4.	रोजगार का भविष्यः चुनौतियाँ और अवसर पर विशेष व्याख्यान–सह–कार्यशाला	03 जुलाई 2024	01	25	मनोज जाटव
5.	आंतरिक प्रवासन और अनुसंधान पर कार्यशाला	01 अगस्त 2024	01	50	रूमा घोष
6.	सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – भविष्य निधि और नई पेंशन योजना पर कार्यशाला	08 अगस्त 2024	01	20	रूमा घोष
7.	श्रम मुद्दों, श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यशाला, भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए	09 अगस्त 2024	01	06	संजय उपाध्याय
8.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 पर वेबिनार, एसोचैम के साथ सहयोगात्मक कार्यशाला	20 सितम्बर 2024	01	61	एलीना सामंतराय
9.	डोमकल लॉ कॉलेज के छात्रों का अध्ययन दौरा	22 अप्रैल 2024	01	20	अमिताभ खुंटिआ
10.	श्रम अध्ययन पर कार्यशाला, टीआईएलएस	20 सितम्बर 2024	01	40	धन्या एम. बी.
11.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता और संवेदनशीलता पर कार्यशाला, बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में	28 जनवरी 2025	01	81	शशि बाला
12.	परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य–जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली पर कार्यशाला	04 फरवरी 2025	01	28	डॉ. शशि बाला
13.	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला	06 फरवरी 2025	01	70	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यशाला / वेबिनार	तिथि	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
14.	युवाओं के कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगारपरकता पर अभिमुखीकरण कार्यशाला, मोती लाल नेहरू कॉलेज के छात्रों के लिए	14 फरवरी 2025	01	48	अमिताभ खुंटिआ
15.	विजन @2047: भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप पर कार्यशाला	25 फरवरी 2025	01	14	धन्या एम. बी.
17.	श्रमिक और औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (बेनेट विश्वविद्यालय)	27 फरवरी 2025	02	50	एलीना सामंतराय
18.	समावेशी सतत विकास हेतु गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान	05 मार्च 2025	01	40	शशि बाला
19.	स्वचालन और कार्य का भविष्यः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	18 मार्च 2025	01	65	धन्या एम. बी.
20.	श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर विचार–मंथन कार्यशाला	21 मार्च 2025	01	10	रूमा घोष
			20	688	

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार.प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विषेशज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधानों की पत्रिका

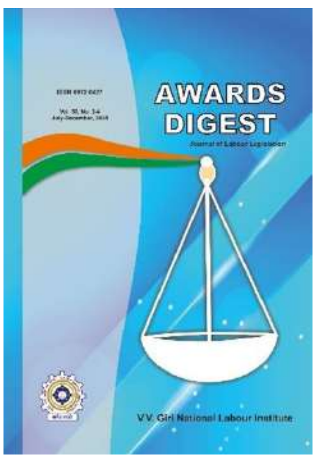

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

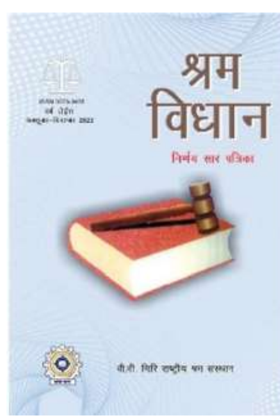

श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक तिमाही न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के क्षेत्र में संस्थान की विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी भी दी जाती है। इसमें महानिदेशक और संकाय सदस्यों की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है और साथ ही संस्थान में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का विवरण भी दिया जाता है।

श्रम संगम

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए संकाय सदस्यों द्वारा किए गए सभी अनुसंधान अध्ययनों को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक संस्थान ने एनएलआई अनुसंधान श्रृंखला के रूप में 173 अनुसंधान अध्ययन प्रकाशित किए हैं।

161/2024 श्रम बल भागीदारीः लैंगिक अंतराल के रुझानों का आकलन। उत्तर प्रदेश में आईटीआई का एक मामला – *डॉ. शशि बाला*

162/2024 हरित रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा पहलः राजस्थान का एक मामला – *डॉ. शशि बाला*

163/2024 महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से भारतीय श्रम बाजार में बदलावः एक नीतिगत पेपर – *डॉ. एलीना सामंतराय*

164/2024 श्रमिक आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन – *डॉ. संजय उपाध्याय और आनंद राज*

165/2024 स्वतंत्रता–पूर्व भारत में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण में श्रमिक आंदोलन की भूमिका – *डॉ. संजय उपाध्याय और श्री रुत्विककुमार मकवाना*

166/2024 भारत में ई–औपचारिकता प्रथाएँ – *डॉ. धन्या एम.बी.*

167/2024 तेलंगाना में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए भेद्यता मानचित्रण और वैकल्पिक आजीविका की पहचान – *डॉ. एलीना सामंतराय, प्रज्ञा परांडे, अनामिका दास*

168/2024 श्रमिक आंदोलन का प्रौद्योगिकी, कौशल और उद्यम विकास के साथ संबंध – *डॉ. संजय उपाध्याय और सुश्री अंजलि तिवारी*

169/2024 लचीली कार्य व्यवस्था तैयार करना – एनसीआर–आईटी क्षेत्र का एक मामला – *डॉ. शशि बाला*

170/2024 लचीले कार्य समय नीति का डिज़ाइनः एनसीआर (सरकारी क्षेत्र) का एक मामला – *डॉ. शशि बाला*

171/2024 भारत में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन – *डॉ. एलीना सामंतराय और कनु प्रिया*

172/2024 बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभः पश्चिम बंगाल में चाय बागानों का एक मामला अध्ययन – *डॉ. मनोज जाटव और किसलय कीर्ति*

173/2024 गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकः विजन 2047 – *डॉ. धन्या एम. बी.*

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला

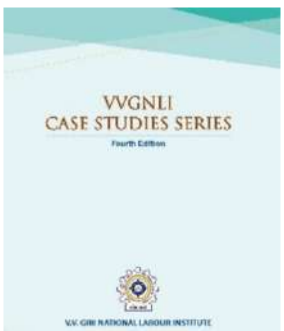

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला में श्रम और उससे संबंधित मुद्दों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों द्वारा विकसित मामला अध्ययन शामिल हैं।

026/2025 गिग श्रमिकः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*

027/2025 कार्य और कौशल प्रभावः महिला श्रमिकों से संबंधित मामलों का विश्लेषण – *श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ*

028/2025 फुटपाथ विक्रेताः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*

029/2025 संविदा श्रमिकः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*

030/2025 गिग श्रमिकः एक मामला अध्ययन (हिंदी) – *डॉ. शशि बाला*

सामयिक प्रकाशन

प्लेटफ़ॉर्म रोजगारः श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के श्रम विनियमन की समस्याएँ–*डॉ. धन्या एम.बी.*

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

डॉ. रूमा घोष
सीनियर फेलो एवं प्रकाशन प्रभारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201301

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई)

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यंत विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है।

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें: अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान पुस्तकालय में 08 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं / सीडी/एवी/वीसी खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं/ स्लाइड्स/एवी/वीसी/सीडी/फोटोग्राफ/पोस्टर/बैनर/क्लिपिंग/पैनल आदि की संख्या **65,691** तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान पुस्तकालय ने नियमित रूप से **108** व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और समाचार पत्रों का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूपों में अभिदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनात्मक प्रसार (एसडीआई); वर्तमान जागरूकता सेवा; ग्रंथ विज्ञान सेवा; ऑनलाइन खोज; पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण; समाचार पत्र कतरन सेवा; माइक्रो–फिच सर्च और मुद्रण; रेप्रोग्राफिक सेवा; सीडी–रोम सर्च; दृश्य–श्रव्य सेवा; वर्तमान विषय+वस्तु सेवा; आर्टिकल अलर्ट सेवा; लेंडिंग सेवा; और अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवा।

2. उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो 120 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/ मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिनः तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्टः साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें अभिदत्त पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय+वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय+वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्विसः श्रम और संबद्ध विशयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचारों की स्कैन कॉपी की एक साप्ताहिक सेवा।

3. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्र का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

राजभषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 26.06.2024, 14.08.2024, 26.12.2024 और 21.03.2025 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिंदी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 24.05.2024, 04.09.2024, 22.11.2024 और 19.03.2025 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2024, 30 जून 2024, 30 सितम्बर 2024 और 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 30 सितम्बर 2024 के दौरान आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली, हिंदी काव्य पाठ, त्वरित भाषण, और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। पुरस्कार वितरण समारोह संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद की अध्यक्षता में 07.10.2024 को आयोजित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्यों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 20 दिसंबर 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा – 'कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा के अधिकतम प्रयोग के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और

आज का विषय इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। इसी उद्देश्य से संस्थान वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष दिसंबर माह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है।' श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई द्वारा संचालित इस प्रतियोगिता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के 17 सदस्य कार्यालयों के 37 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए पुरस्कार

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को वर्ष 2023–24 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा दिनाँक 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 47वीं बैठक में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री विजय कुमार, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा से पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई

- श्री राजेश कुमार कर्ण, आशुलिपिक सहायक ग्रेड–I, वीवीजीएनएलआई ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नॉएडा के तत्वावधान में दिनांक 26.11.2024 को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा–दादरी रोड, फेज–II, नौएडा द्वारा आयोजित स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार विजेताओं को दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में आयोजित नगर राजभाषा (कार्यालय), नौएडा की 48वीं बैठक में सम्मानित किया गया।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में दिनांक 20.12.2024 को वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा द्वारा आयोजित राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में संस्थान के श्री मनवीर सिंह भंडारी, आशुलिपिक सहायक ग्रेड–II और श्री नरेश कुमार, सहायक ग्रेड–I, ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार विजेताओं को 29.01.2025 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 48वीं बैठक में सम्मानित किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें संगठन के विवरण, उसके कार्य और कर्तव्य, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम आदि से संबंधित सूचना का सार्वजनिक डोमेन में प्रसार शामिल है। 01.04.2024 से 31.03.2025 तक संस्थान में प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई मामलों की समग्र स्थिति इस प्रकार हैः

i)	वर्ष की शुरुआत यानी 01.04.2023 को लंबित मामलों की संख्या	:	01
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	:	31
iii)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	:	32
iv)	31.03.2024 को लंबित मामलों की संख्या	:	शून्य

अनुशासनात्मक कार्यवाही

- कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है।
- कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाईः

i)	छोटी शास्ति और बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए लंबित है	:	शून्य
ii)	छोटी शास्ति और बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	:	शून्य

संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन एवं स्थायीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैः

1. **ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन एवं स्थायीकरणः** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को भी सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2. **नई वेबसाइट का शुभारंभ एवं सुदृढ़ीकरणः** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3. **परिसर में वाई–फाई एवं निगरानी प्रणाली का शुभारंभः** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

स्टाफ सदस्यों की संख्या
(31.03.2025 को)

समूह	संस्वीकृत पद	पदस्थ
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	11
समूह क	05	04
समूह ख	13	07
समूह ग	24	11
समूह घ	25	15
योग	**83**	**49**

संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित हैः

डॉ. अरविंद, महानिदेशक

संस्थान की फैकल्टी

1. डॉ. संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	सीनियर फेलो
2. डॉ. रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	सीनियर फेलो
3. डॉ. शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सीनियर फेलो
4. डॉ. एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
5. डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
6. डॉ. एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	फेलो
7. डॉ. मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	फेलो
8. श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
9. डॉ. मेघना दासगुप्ता, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
10. डॉ. संचारी मुखोपाद्याय, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
11. डॉ. पूजा पाल, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

अधिकारी

1. श्री हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासनिक अधिकारी
2. श्री वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
3. श्री नागेश नितला, एम.बी.ए., एम.एस.सी	कार्यक्रम अधिकारी
4. श्री वैभव रैना, एम. कॉम	लेखा अधिकारी

कर्मचारियों की सूची (समूह ख एवं ग)

समूह ख

1.	श्री एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	श्री बी. एस. रावत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
3.	श्रीमती गीता अरोड़ा	पर्यवेक्षक
4.	श्री प्रवीण पाण्डेय	पर्यवेक्षक
5..	श्री जगत सिंह	पर्यवेक्षक
6.	श्रीमती सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड–I
7.	श्री राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड–I

समूह ग

1.	श्री नरेश कुमार	सहायक ग्रेड–I
2.	श्रीमती रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड–I
3	सुश्री नियंग लेम जॉय	आशुलिपिक ग्रेड–II
4.	श्री मनवीर सिंह भंडारी	आशुलिपिक ग्रेड–II
5.	श्रीमती निधि अग्रवाल	आशुलिपिक ग्रेड–II
6.	श्री सत्यवान	सहायक ग्रेड–III
7.	श्री सौरभ कुमार	सहायक ग्रेड–III
8.	श्री अजय कुमार यादव	सहायक ग्रेड–III
9.	श्री अभिषेक रॉय चौधुरी	सहायक ग्रेड–III
10.	श्री संदीप कुमार	सहायक ग्रेड–III
11.	श्री दीपक मोर	सहायक ग्रेड–III

लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एवं
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2024—25

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में संस्थान का जवाब

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(क)	**तुलन पत्र**	
	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) उपरोक्त में 2017–18 से 2020–21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को उन कार्यों, जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, के लिए दिए गए 72.86 लाख रुपये के अग्रिम शामिल हैं। समायोजन बिल/उपयोग प्रमाणपत्र अभी भी प्रतीक्षित हैं और उन कार्यों को औपचारिक रूप से संस्थान को सौंपा जाना बाकी है। हालाँकि, संस्थान को उन्हें पूंजीकृत करने और तदनुसार मूल्यह्रास करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम में 72.86 लाख रुपये की अतियुक्ति और अचल परिसंपत्तियाँ में इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति पायी गयी।	इसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए अग्रिम शामिल हैं: लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार, संस्थान रु. 40,31,184/– के पूर्ण हो चुके कार्य, जिसके लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है, पूंजीकृत करेगा। हालाँकि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक पूरे नहीं किए गए कार्यों के अग्रिमों का निरंतर अनुवर्तन किया जाएगा और कार्य पूरा होने के बाद, उन्हें पूंजीकृत किया जाएगा। संस्थान द्वारा वर्तमान में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार यह राशि चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) के अंतर्गत दर्शाई गई है। इसलिए, चालू परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम में 72.86 लाख रुपये की अतियुक्ति और अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची–8) में इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति नहीं हैं। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(ख)	**आय एवं व्यय**	
	अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) उपरोक्त में विद्युत एवं पावर प्रभार के लिए 47.94 लाख रुपये शामिल हैं। यह राशि कर्मचारियों से वसूले गए विद्युत प्रभार को विद्युत बिलों से समायोजित करके प्राप्त की गई है जबकि प्रारूप के अनुसार विद्युत प्रभार को सकल में दर्शाया जाना चाहिए और वसूली को अन्य आय के रूप में लिया जाना चाहिए।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया।
	इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय में 5.84 लाख रुपये की न्यूनोक्ति और अन्य आय में भी इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति पायी गयी।	
(ग)	**सामान्य**	
	एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण, संस्थान 2020–21 और 2021–22 के दौरान मानव शक्ति आपूर्ति के लिए एनआईसीएसआई को दिए गए 10.32 लाख रुपये के अग्रिम को समायोजित करने में विफल रहा। इसके अलावा, संस्थान ने अदत्त मानव शक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं बनाया है, परंतु कार्य पूरा करवा लिया।	संस्थान को एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र 30.07.2025 को प्राप्त हो गया है (प्रतिलिपि संलग्न) और अग्रिम राशि को तदनुसार समायोजित कर दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, इस पैरा को छोड़ दिया जाए।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(घ)	**प्रबंधन पत्र**	
	जो कमियां इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया।
(ङ)	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन**	
(i)	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:	
	• संस्थान ने व्यय नियंत्रण रजिस्टर, चिकित्सा दावा रजिस्टर और अनुबंध रजिस्टर नहीं बनाए हैं। हालाँकि, चिकित्सा दावों का रिकॉर्ड ई–ऑफिस के माध्यम से रखा जा रहा है और अनुबंधों का रिकॉर्ड सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन संस्थान को इन रिकॉर्डों के लिए अपनी प्राथमिक पुस्तकें तैयार करनी होंगी, क्योंकि जेम पोर्टल संस्थान के स्वामित्व में नहीं है।	संस्थान अपने अभिलेखों का रखरखाव कम्प्यूटरीकृत रूप में कर रहा है। हालाँकि, जैसा कि सुझाव दिया गया है, विभिन्न कार्यों के लिए रजिस्टर तैयार करके इन्हें भौतिक प्रारूप में भी रखा जा सकता है।
	• संस्थान के संगम ज्ञापन के अनुसार कार्यपरिषद की कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जानी हैं जबकि कार्यपरिषद की केवल दो बैठकें आयोजित की गई हैं।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
	• संस्थान के वार्षिक लेखा में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया।
(ii)	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान का अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है; हालाँकि, वर्ष 2024–25 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नियमित आधार पर संस्थान की लेखापरीक्षा करता है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
(iii)	**अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2024–25 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
(iv)	**वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2024–25 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
(v)	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(vi)	**संस्थान के कामकाज से संबंधित अन्य मामलेः** वार्षिक लेखा अभी तक संस्थान की कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अभी तक, वार्षिक लेखा को केवल संस्थान के महानिदेशक के स्तर पर तैयार किया गया है, न कि कार्यपरिषद के स्तर पर, जैसा कि संस्थान के संगम ज्ञापन में निर्धारित है।	वार्षिक लेखा पर कार्यपरिषद ने 30.10.2025 को आयोजित बैठक में विचार किया।
(च)	**सहायता अनुदान**	
	वर्ष 2024–25 के दौरान संस्थान को 1441.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 388.43 लाख रुपये की आंतरिक आय सृजित की गई। इसमें 151.88 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि 1981.81 लाख रुपये हुई। संस्थान ने 1760.09 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2025 को 221.72 लाख रुपये का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है।

सत्यमेव जयते

BRANCH: DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), LUCKNOW AT PRAYAGRAJ

Ltr No: Central Expenditure/2025-2026/DIS-3196058
Date: 28 Nov 2025

To,

Director General,
V. V. Giri National Labour Institute, Noida

Subject: Issue of Separate Audit Report: PR-193535 on the Accounts of V V Giri National Labour Institute, Noida for the year 2024-25

Sir/Madam,

वर्ष 2024-25 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति महानिदेशक, V V Giri National Labour Institute Noida Uttar Pradesh को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए :
''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरुप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

Yours faithfully,

RAJ KUMAR
Dy Director

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) लखनऊ
शाखा कार्यालय – प्रयागराज
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow
Branch Office - Prayagraj
15-ए, दयानंद मार्ग, ऑडिट भवन, प्रयागराज - 211001
15-A, Dayanand Marg, Audit Bhawan, Prayagraj - 211001

पत्र स० : प्र. नि. ले. (कें.)/एस. ए. आर./ 2025-26/156 दिनांक: 28.11.2025

सेवा में,

महानिदेशक,
वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सेक्टर-24, नोएडा -201301 |

विषय: Management Letter for corrective measures – reg.

महोदय,

We have audited the Annual Accounts of the V. V. Giri National Labour Institute, Noida for the year 2024-25 and have issued the Audit Report. Following deficiency, observed during the course of audit which has not been included in the Separate Audit Report, is being brought to your kind notice for remedial/corrective action:

Part A: Persistent Irregularities

Nil

Part B: Other minor irregularities

The Institute is required to give detailed disclosure of Retirement Benefits in notes to accounts as required by AS-15.

भवदीय,

Digitally signed by
Sanjay Kumar
Date: 27-11-2025
17:44:51

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की राय

राय

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च 2025 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के वित्तीय विवरण जिसमें वित्तीय स्थिति के विवरण शामिल हैं, और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों की लेखापरीक्षा की है। संस्थान की लेखापरीक्षा 2027–28 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है।

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य. निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

हमारी राय में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के संलग्न पठित वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों एवं उन पर की गई टिप्पणियों और तत्पश्चात दी गई पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके वित्तीय प्रदर्शन एवं कैश फ्लो का सही और निष्पक्ष नज़रिया देते हैं, जो भारत में आमतौर पर माने जाने वाले लेखा/लेखांकन मानकों के यूनिफॉर्म प्रारूप के अनुसार है।

राय का आधार

हमने यह लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन नोट/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की। हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ वाले भाग बताया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए ज़रूरी नैतिक ज़रूरतों के हिसाब से स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन ज़रूरतों के हिसाब से अपनी दूसरी नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा के जो सबूत हमें मिले हैं, वे हमारी राय का आधार देने के लिए काफी और सही हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा की महापरिषद भारत में आम तौर पर माने जाने वाले लेखा/ लेखांकन मानकों के यूनिफॉर्म प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और सही तरीके से पेश करने के लिए ज़िम्मेदार है। यह आंतरिक नियंत्रण, जिसे ऐसे वित्तीय विवरणों, जो सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करने के लिए प्रबंधन जरूरी समझता है, के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा मकसद इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरे वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, से मुक्त हैं कि नहीं और एक लेखापीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन नोट/ आदेशों/परिपत्रों आदि के हिसाब से हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./
(संजय कुमार)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केंद्रीय) लखनऊ

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 27.11.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(क) तुलन पत्र

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) 10.52 करोड़ रुपए

उपरोक्त में 2017–18 से 2020–21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को उन कार्यों, जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, के लिए दिए गए 72.86 लाख रुपये के अग्रिम शामिल हैं। समायोजन बिल/उपयोग प्रमाणपत्र अभी भी प्रतीक्षित हैं और उन कार्यों को औपचारिक रूप से संस्थान को सौंपा जाना बाकी है। हालाँकि, संस्थान को उन्हें पूंजीकृत करने और तदनुसार मूल्यह्रास करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम में 72.86 लाख रुपये की अतियुक्ति और अचल परिसंपत्तियाँ में इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति पायी गयी।

(ख) आय एवं व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) 2.01 करोड़ रुपए

उपरोक्त में विद्युत एवं पावर प्रभार के लिए 47.94 लाख रुपये शामिल हैं। यह राशि कर्मचारियों से वसूले गए विद्युत प्रभार को विद्युत बिलों से समायोजित करके प्राप्त की गई है जबकि प्रारूप के अनुसार विद्युत प्रभार को सकल में दर्शाया जाना चाहिए और वसूली को अन्य आय के रूप में लिया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय में 5.84 लाख रुपये की न्यूनोक्ति और अन्य आय में इतनी ही राशि की अतियुक्ति पायी गयी।

(ग) सामान्य

एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण, संस्थान 2020–21 और 2021–22 के दौरान मानव शक्ति आपूर्ति के लिए एनआईसीएसआई को दिए गए 10.32 लाख रुपये के अग्रिम को समायोजित करने में विफल रहा। इसके अलावा, संस्थान ने अवैतनिक मानव शक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं बनाया है, परंतु कार्य पूरा करवा लिया।

(घ) प्रबंधन पत्र

जो कमियां इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

(ङ) आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तताः संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईंः

- संस्थान ने व्यय नियंत्रण रजिस्टर, चिकित्सा दावा रजिस्टर और अनुबंध रजिस्टर नहीं बनाए हैं। हालाँकि, चिकित्सा दावों का रिकॉर्ड ई–ऑफिस के माध्यम से रखा जा रहा है और अनुबंधों का रिकॉर्ड सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन संस्थान को इन रिकॉर्डों के लिए अपनी प्राथमिक पुस्तकें तैयार करनी होंगी, क्योंकि जेम पोर्टल संस्थान के स्वामित्व में नहीं है।
- संस्थान के संगम ज्ञापन के अनुसार कार्यपरिषद की कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जानी हैं जबकि कार्यपरिषद की केवल दो बैठकें आयोजित की गई हैं।
- संस्थान के वार्षिक लेखा में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है।

(ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः संस्थान का अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है; हालाँकि, वर्ष 2024–25 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नियमित आधार पर संस्थान की लेखापरीक्षा करता है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2024–25 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हालाँकि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

(iv) वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2024–25 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हालाँकि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

(v) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता: संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

(vi) संस्थान के कामकाज से संबंधित अन्य मामले: वार्षिक लेखा अभी तक संस्थान की कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अभी तक, वार्षिक लेखा को केवल संस्थान के महानिदेशक के स्तर पर तैयार किया गया है, न कि कार्यपरिषद के स्तर पर, जैसा कि संस्थान के संगम ज्ञापन में निर्धारित है।

(च) सहायता अनुदान

वर्ष 2024–25 के दौरान संस्थान को 1441.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 388.43 लाख रुपये की आंतरिक आय सृजित की गई। इसमें 151.88 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि 1981.81 लाख रुपये हुई। संस्थान ने 1760.09 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2025 को 221.72 लाख रुपये का अंत शेष रहा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./
(संजय कुमार)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केंद्रीय) लखनऊ

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 27.11.2025

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2024–25)

हमने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2025 को यथा स्थिति तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं, की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहाँ तक यह, दिनांक 31 मार्च 2025 को यथास्थिति संस्थान के कार्य के तुलन.पत्र से संबंधित है और,

ख) जहाँ तक यह, दिनांक 31 मार्च 2025 को को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय–व्यय खाते के मामले में संस्थान के अधिशेष से संबंधित है और,

ग) जहाँ तक यह, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

कृष्ण कुमार चनानी
साझेदार
के. के. चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
यूडीआईएनः 2505604537361बीएमआईसीएजेड5980

नई दिल्ली, 27 जून 2025

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	96,777,578.92	101,352,272.89
आरक्षित एवं अधिशेष/विकास निधि	2	252,988,913.77	221,547,317.09
उद्दिष्ट निधि/बंदोबस्ती निधि	3	20,299,475.67	19,802,796.27
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	92,426,749.52	96,668,301.47
योग		**462,492,717.88**	**439,370,687.72**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	8	105,223,583.00	116,436,887.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	9	252,988,913.77	221,547,317.09
निवेशः अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	11	104,280,221.11	101,386,483.63
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
योग		**462,492,717.88**	**439,370,687.72**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,	24
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ	25

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित

कृतेः के. के. चनानी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232ई)

कृष्ण कुमार चनानी	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 056045	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली

दिनाँकः 27 जून 2025

यूडीआईएनः 2505604537361बीएमआईसीएजेड5980

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

ब्यौरे	अनु.	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
सहायता अनुदान/सब्सिडी	13	142,498,887.00	131,000,000.00
फीस एवं अभिदान	14	23,910,776.52	27,718,121.16
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,835,793.30	2,094,172.80
अन्य आय	18	12,096,857.40	9,315,397.90
स्टॉक में वृद्धि/कमी और प्रगतिरत कार्य/पूर्व अवधि आय	19	-	-
जोड़ (क)		**181,342,314.22**	**170,127,691.86**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	80,213,439.00	85,819,462.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	20,071,105.19	17,959,086.15
अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय	22	57,740,788.00	51,161,325.00
ब्याज/पूर्व अवधि व्यय	23	1,144,265.00	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	13,603,457.00	14,530,755.00
जोड़ (ख)		**172,773,054.19**	**169,470,628.15**
व्यय से आय की अधिकता से शेष (क–ख)			
स्पेशल रिजर्व में अंतरण (निर्दिष्ट करें)			
जनरल रिजर्व से/में अंतरण		8,569,260.03	657,063.71
शेष राशि अधिशेष/घाटा होने पर कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाई गई		**8,569,260.03**	**657,063.71**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,	24
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ	25

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कृष्ण कुमार चनानी	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 056045	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली
दिनाँकः 27 जून 2025
यूडीआईएनः 2505604537361बीएमआईसीएजेड5980

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष 31.03.2024	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2025	पिछला वर्ष 31.03.2024	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2025
	आदि शेष			**व्यय**	
17,691.95	हस्तगत रोकड़	82.95	77,436,959.00	स्थापना व्यय	83,311,226.00
	बैंक में शेष		10,634,901.15	प्रशासनिक व्यय	17,895,639.19
2,165,963.14	चालू खाता	6,559,637.05	44,828,797.54	योजनागत अनुदान का उपयोग	58,383,225.79
6,400.44	बचत खाता परियोजना	6,484.04			
-	बचत खाता, आईओबी – 55346	456,496.00	6,802,373.00	**अचल परिसंपत्तयाँ**	2,340,219.00
196,839,017.58	खाते में जमा–विकास निधि	221,547,317.09	94.40	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	94.40
13,094,147.84	ग्रेच्युटी खाता–1130025	17,045,715.06	2,678,814.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	203,153.00
13,027,506.55	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	13,895,660.77			
57,105.00	हस्तगत डाक टिकट	42,883.00	226,472.00	**स्टाफ को अग्रिम**	-
4,021,182.43	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति 1150006	13,589.70			
10,614,912.28	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	19,108,377.47	640,648.00	विभागीय अग्रिम	650,568.00
42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	-		-
-	जेम (जीईएम) पूल खाता	3,008,880.00	287,632.00	पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	
130,927.00	भारतीय स्टेट बैंक	136,554.80			
	यूपीपीसीएल में जमा प्रतिभूति	392,436.00			
	प्राप्त अनुदान			**अंतशेष**	
135,829,019.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	144,150,316.00			
77,649.00	अन्य एजेंसियों से	32,427.00	82.95	**हस्तगत रोकड़**	4,679.95
-	अन्य परियोजनाओं से	-		**बैंक में शेष**	
	प्राप्त ब्याज		6,559,637.05	चालू खाता आईओबी–1131	10,905,796.39
14,058,405.51	विकास निधि	16,253,777.68	17,045,715.06	ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278	17,450,479.21
-	उद्दिष्ट निधि	-	13,895,660.77	छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	16,159,378.21
-	वाहन अग्रिम	-	42,883.00	हस्तगत डाक टिकट	64,245.00
1,940,640.80	बचत खाता	2,666,817.30	221,547,317.09	जमा: विकास निधि	252,988,913.77

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष 31.03.2024	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2025	पिछला वर्ष 31.03.2024	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2025
178.00	ब्याजः परियोजना खाता	180.00	6,484.04	बचत खाता – परियोजना	6,569.64
19,319,927.60	**फीस/अभिदान**	10,476,683.18	13,589.70	ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	244,445.70
9,315,397.90	**अन्य आय**	12,096,857.40	19,108,377.47	यूनियन बैंक फ्लेक्सी बचत खाता 520141001056979	9,588,297.20
-	**पूर्व अवधि आय**	-	42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00
			-	यूपीपीसीएल में जमा प्रतिभूति	392,436.00
590,575.00	विभागीय अग्रिम	574,650.00	3,008,880.00	जेम (जीईएम) पूल खाता	131,591.24
	अग्रिमों की वसूली	-	136,554.80	भारतीय स्टेट बैंक – 39675453455	142,152.80
241,472.00	स्टाफ से	-	456,496.00	बचत खाता, आईओबी – 55346	790,742.00
	अन्य प्राप्तियाँ				
4,010,250.00	आयकर वापसी	2,962,550.00			
-	प्राप्त जमा प्रतिभूति	225,480.00			
425,400,442.02	**जोड़**	**471,695,925.49**	**425,400,442.02**	**जोड़**	**471,695,925.49**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, 24

आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 25

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित

कृतेः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कृष्ण कुमार चनानी	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 056045	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली

दिनाँकः 27 जून 2025

यूडीआईएनः 2505604537361बीएमआईसीएजेड5980

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 1 – कॉर्पस/पूँजीगत निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	101,352,272.89	108,086,223.18
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण	(15,187,819.00)	(10,649,894.00)
जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान		
जोड़ें: यूपीपीसीएल में जमा प्रतिभूति के लिए योगदान	392,436.00	
योजनागत अनुदानों से	1,651,429.00	3,258,880.00
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट निधि		
	1,651,429.00 -	3,258,880.00
व्यय से आय की अधिकता	8,569,260.03	657,063.71
जोड़	**96,777,578.92**	**101,352,272.89**
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष/विकास निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	221,547,317.09	196,839,017.58
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि	15,187,819.00	10,649,894.00
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज	16,253,777.68	14,058,405.51
जोड़	**252,988,913.77**	**221,547,317.09**
अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधि /बंदोबस्ती निधि		
(क) परिक्रामी एचबीए निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	9,274,742.93	**8,779,944.93**
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	477,034.00	488,506.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	927.00	6,292.00
जोड़ (क)	**9,752,703.93**	**9,274,742.93**
(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	670,455.30	**652,330.30**
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	18,632.80	18,125.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	-	-
जोड़ (ख)	**689,088.10**	**670,455.30**
(ग) परियोजना निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	6,484.04	6,400.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	180.00	178.00
घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	(94.40)	(94.40)
जोड़ (ग)	**6,569.64**	**6,484.04**
घ. प्रगतिरत कार्य		
वर्श के आरम्भ में शेष	9,851,114.00	8,280,975.00
जोड़ें: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट – एनआईसीएसआई	-	1,570,139.00
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि	-	-
जोड़ (घ)	**9,851,114.00**	**9,851,114.00**
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**20,299,475.67**	**19,802,796.27**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

		31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार			
	जोड़	-	-
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार			
	जोड़	-	-
अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं			
	जोड़	-	-
अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान			
क – चालू देयताएं			
ईएमडी और जमा प्रतिभूति		246,740.00	21,260.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं		22,379,887.47	21,565,912.47
जीएसटी आउटपुट		329,677.05	1,702,443.00
	जोड़ (क)	**22,956,304.52**	**23,289,615.47**
ख – प्रावधान			
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं		69,470,445.00	73,378,686.00
	जोड़ (ख)	**69,470,445.00**	**73,378,686.00**
	जोड़ (क+ख)	**92,426,749.52**	**96,668,301.47**

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष की शुरुआत में 01.04.2024 को लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		वर्ष के अंत में 31.03.2025 को लागत/ मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक योग	वर्तमान वर्ष के अंत तक स्थिति	पिछले वर्ष के अंत तक स्थिति
			03.10. 2024 तक	03.10.2024 के बाद	03.10. 2024 तक	03.10.2024 के बाद							
भूमि*	0%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	93,670,030		1,650,316	-		95,320,346	9,367,003	82,516	-	9,449,519	85,870,827	93,670,030
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	2,196,730			-		2,196,730	219,673	-	-	219,673	1,977,057	2,196,730
उपकरण	15%	16,286,704	115,642	240,933	334,707		16,308,572	2,392,800	35,416	25,103	2,453,319	13,855,253	16,286,704
वाहन	15%	119,291	827,200		110,344		836,147		124,080	8,947	133,027	703,120	119,291
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	97,625		1,113	-		98,738	39,050	223	-	39,273	59,465	97,625
कंप्यूटर	40%	1,946,793			-		1,946,793	778,717	-	-	778,717	1,168,076	1,946,793
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%	2,119,714			-		2,119,714	529,929	-	-	529,929	1,589,785	2,119,714
जोड़		116,436,887	942,842	1,892,362		445,051	118,827,040	13,327,172	242,235	34,050	13,603,457	105,223,583	116,436,887

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत षामिल नहीं है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 9 – निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ		
क. विकास निधि		
सावधि जमा खाते	239,326,340.45	207,839,388.45
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	13,630,881.25	13,682,924.25
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 10355	31,692.07	25,004.39
जोड़ (क)	**252,988,913.77**	**221,547,317.09**
अनुसूची 10 – निवेश : अन्य		
जोड़	-	-
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		
(क). चालू परिसंपत्तियाँ		
अ. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	4,679.95	82.95
बैंक में शेषः		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाता सं. 1131 में	10,905,796.39	6,559,637.05
यूनियन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1056979	9,588,297.20	19,108,377.47
ग्रेच्युटी एसबी यूनियन बैंक खाता – 1056278	17,450,479.21	17,045,715.06
छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	16,159,378.21	13,895,660.77
ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	244,445.70	13,589.70
डाक टिकट खाता	64,245.00	42,883.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	42,073.00
यूपीपीसीएल में जमा प्रतिभूति	392,436.00	-
वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता	131,591.24	3,008,880.00
भारतीय स्टेट बैंकः एसबी खाता – 3455	142,152.80	136,554.80
इंडियन ओवरसीज बैंक बचत खाता – 55346	790,742.00	456,496.00
जोड़ (क) -	**55,916,316.70**	**60,309,949.80**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
(ख). अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, परिक्रामी निधि...		
अ. परिक्रामी एचबीए निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंक/एसबीआईः एफडीआर	6,248,076.00	5,827,584.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	506,505.00	519,755.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 2637	2,669,796.93	2,468,049.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	328,326.00	459,354.00
जोड़ (क)	**9,752,703.93**	**9,274,742.93**
ब. परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता 7942	689,088.10	670,455.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	-	-
जोड़ (ब)	**689,088.10**	**670,455.30**
जोड ख (अ+ब)	**10,441,792.03**	**9,945,198.23**

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

(ग). परियोजना खाता

	31.03.2024 तक के आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2025 तक के आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक में एसबी खाता में						
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	4,897.04	-	136.00	-	94.40	4,938.64
एसबी खाताः यूनियन बैंक						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि- 520101223527943	1,587.00	-	44.00	-		1,631.00
जोड़ (ग)	**6,484.04**	**-**	**180.00**	**-**	**94.40**	**6,569.64**
जोड़ (क+ग)	**60,316,433.84**					**55,922,886.34**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

(घ). ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2024 तक के आंकड़े	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली / समायोजित		31.03.2025 तक के आंकड़े
अ. स्टाफ को					
एलटीसी अग्रिम	-				-
जोड़ (अ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ब. अन्य ऐजेंसियों को					
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	89,098.00	-	-		89,098.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19	3,639,780.00	-	-		3,639,780.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2020–21	574,528.00		-		574,528.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2020–21	3,557,733.00		-		3,557,733.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2021–22	457,830.00	-			457,830.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2023–24	2,564,503.00				2,564,503.00
जोड़ (ब)	**10,883,472.00**	**-**	**-**	**-**	**10,883,472.00**

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
(ङ). अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	455,862.00	285,136.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	36,134.00	36,134.00
स्रोत पर कर की कटौती	3,904,595.40	4,507,865.40
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	35,741.00	356.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	110,250.00	69,717.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,440,228.00	1,476,734.00
विविध देनदार	16,309,932.34	9,126,109.16
सेवा कर विभाग	1,424,003.00	1,424,003.00
पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	3,315,325.00	3,315,325.00
जोड़ (ङ)	**27,032,070.74**	**20,241,379.56**
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**104,280,221.11**	**101,386,483.63**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 12– बिक्री/सेवाओं से आय		
जोड़	-	-
अनुसूची 13 – सहायता अनुदान / सब्सिडी		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	144,150,316.00	135,829,019.00
जोड़	**144,150,316.00**	**135,829,019.00**
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट – एन.आई.सी.एस.आई.	-	1,570,139.00
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	1,651,429.00	3,258,880.00
	(1,651,429.00)	**(4,829,019.00)**
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियाँ	**142,498,887.00**	**131,000,000.00**
अनुसूची 14 – फीस एवं अभिदान		
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	23,902,696.52	27,701,511.16
अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान	5,000.00	1,820.00
लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान	2,100.00	3,250.00
श्रम कानून-शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	500.00	11,000.00
श्रम विधान अभिदान	480.00	540.00
जोड़	**23,910,776.52**	**27,718,121.16**
अनुसूची 15 – निवेश से आय		
जोड़	-	-
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन से आय		
जोड़	-	-

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज		
स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	-	
प्राप्त ब्याज	2,835,793.30	2,094,172.80
	2,835,793.30	**2,094,172.80**
अनुसूची 18 – अन्य आय		
गैर–योजनागत आय	3,652,400.00	3,523,929.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	7,687,630.00	5,109,294.40
फोटोस्टेट से आय	62,000.00	358,281.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया-लाइसेंस शुल्क	140,831.00	128,910.00
अन्य प्राप्तियों से आय	540.40	1,111.00
टीडीएस वापसी पर ब्याज	115,620.00	193,872.50
परामर्श/संकाय शुल्क	437,836.00	
जोड़	**12,096,857.40**	**9,315,397.90**
अनुसूची 19 – स्टॉक में वृद्धि/कमी और प्रगतिरत कार्य/पूर्व अवधि आय		
	-	-
जोड़	-	-
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय		
स्टाफ को वेतन	61,720,080.00	61,209,677.00
भत्ते	3,225,812.00	3,441,781.00
एनपीएस में अंशदान	6,770,058.00	8,019,550.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत्त लाभ पर व्यय	7,452,967.00	11,974,462.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ के लिए छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	1,044,522.00	1,173,992.00
जोड़	**80,213,439.00**	**85,819,462.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन एवं प्रचार	10,707.00	25,326.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	554,963.00	488,743.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	4,793,910.00	5,543,459.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	201,367.00	189,297.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	526,980.00	234,342.00
विविध व्यय	90,747.19	143,334.15
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	6,102,236.00	6,619,919.00
फोटोस्टेट व्यय	125,166.00	230,947.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	19,866.00	56,953.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	394,064.00	334,555.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	1,183,775.00	3,543,493.00
व्यय–सलाहकार/परामर्शदाता	3,518,018.00	
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	514,448.00	187,695.00
ख. कूलर/ए.सी	397,182.00	1,133,754.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	229,371.00	16,299.00
स्टाफ कल्याण व्यय	639,733.00	594,807.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	191,035.00	188,717.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	466,723.00	398,812.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	476,416.00	791,263.00
वाहनों की बिक्री पर हानि	40,987.00	
जल प्रभार	777,186.00	780,864.00
जोड़	**21,254,880.19**	**21,502,579.15**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	**1,183,775.00**	**3,543,493.00**
आय और व्यय खाते में अंतरित धनराशि	**20,071,105.19**	**17,959,086.15**
अनुसूची 22– अनुदान और सब्सिडी पर व्यय		
क. अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	9,053,234.00	5,549,038.00
शिक्षण कार्यक्रम	20,558,158.00	15,957,384.00

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2025 तक के आंकड़े	31.03.2024 तक के आंकड़े
ग्रामीण कार्यक्रम	294,190.00	777,967.00
सूचना प्रौद्योगिकी	1,511,553.00	854,140.00
परिसर सेवाएं	20,260,684.00	22,788,389.00
जोड़ (क)	**51,677,819.00**	**45,926,918.00**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं		
शिक्षण कार्यक्रम	3,784,585.00	3,166,755.00
परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	1,277,904.00	1,006,964.00
जोड़ (ख)	**5,062,489.00**	**4,173,719.00**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना		
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान	943,183.00	1,060,688.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,113.00	-
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	57,297.00	
जोड़ (ग)	**1,001,593.00**	**1,060,688.00**
घ. अवसंरचना		
अवसंरचना विकास	1,650,316.00	4,829,019.00
जोड़ (घ)	**1,650,316.00**	**4,829,019.00**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)	**59,392,217.00**	**55,990,344.00**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि		1,570,139.00
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	1,651,429.00	3,258,880.00
	1,651,429.00	4,829,019.00
आय और व्यय खाते में अंतरित धनराशि	**57,740,788.00**	**51,161,325.00**

अनुसूची 23 – ब्याज/पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि व्यय	1,144,265.00	
	-	-
जोड़	1,144,265.00	**-**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां

अनुसूची सं. 24: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **वित्तीय औचित्य के मानक**

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2. **वित्तीय विवरण**

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3. **अचल परिसम्पत्तियां**

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. **मूल्यह्रास**

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	10%
वाहन	10%
पुस्तकालय की पुस्तकें	10%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	10%
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	10%

5. **पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटी)**

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6. **पूर्व अवधि समायोजन**

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7. **वस्तु सूचियाँ**

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8. **कर्मचारी हितलाभ**

संस्थान ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

9. विकास निधि

संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र सं. जी–26035/1/2002–ईएसए (एनएलआई) दिनांक 02.04.2002 के माध्यम से जारी निदेशों के अनुसार विकास निधि सृजित की थी जिसमें व्यय से अधिक आय को प्रत्येक वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जा रहा था। सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास की अवधारणा की शुरूआत के बाद, संस्थान विकास निधि में मूल्यह्रास चार्ज करने से पहले अधिशेष स्थानांतरित करता है क्योंकि मूल्यह्रासं निधि का बहिर्वाह नहीं है।

अनुसूची सं. 25 : लेखा पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर–लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और तदुनसार प्रावधान किए गए हैं।

2. निवेश नीति

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV (ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4. पूंजीगत एवं राजस्व लेखा

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान अन्य एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन भूमि के अलावा ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अनुसूची 24 के पैरा 4: ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद शुरूआती डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्श के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

7. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8. सरकारी धन का रुकना

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से किए जाते हैं। संस्थान में विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। आज तक 10883472.00 रुपए की शेष राशि के लिए सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।

9. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2024 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

विवरण	31.03.2025 तक प्रावधान	31.03.2024 तक प्रावधान
उपदान	40,354,261.00	42,133,251.00
अर्जित अवकाश	29,116,184.00	31,245,435.00
	69,470,445.00	**73,378,686.00**

10. आयकर विवरणी

संस्थान ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी। संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11. आगे ले जाया गया अधिशेष

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजना अनुदान कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12. आकस्मिक देयताएं

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13. आरक्षित एवं अधिशेष अनुसूची

लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर, बाहरी परियोजना निधि एवं प्रगतिरत कार्य को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है

14. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूचियां 1 से 25 हस्ताक्षरित

कृतेः के. के. चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232ई)

कृतेः वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

कृष्ण कुमार चनानी
सदस्यता सं. 056045

वैभव रैना
लेखा अधिकारी

हर्ष सिंह रावत
प्रशासनिक अधिकारी

डॉ. अरविंद
महानिदेशक

स्थानः दिल्ली
दिनाँकः 27 जून 2025
यूडीआईएनः 2505604537361बीएमआईसीएजेड5980

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in